

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा
2022-23

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा

2022-23

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

दिसंबर 2023

अग्रहायण 1945

PD 2H RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2023

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय				
एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली 110 016	108, फ्रीट रोड हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे बनाशंकरी III स्टेज बेंगलुरु 560 085	नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014	सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस निकट धनकल बस स्टॉप पनिहटी कोलकाता 700 114	सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स मालीगाँव गुवाहाटी 781 021

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा गीता ऑफ़सेट प्रिंटर्स (प्रा.) लि.,
सी-90 एवं सी-86, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेज-1, नई दिल्ली 110020 द्वारा मुद्रित।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन ही मान्य होगा।”

विषय-सूची

विषय	अनुसूची	पृष्ठ सं.
क. तुलन पत्र		1
i) पूँजीगत निधि	1	2
ii) अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	3
iii) अक्षय निधियाँ	2 (अ)	4
iv) चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	5
v) प्रायोजित परियोजनाएँ	3 (अ)	6-8
vi) प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ	3 (ब)	9
vii) भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	3 (स)	10
viii) स्थायी परिसंपत्तियों का समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)	4	11-12
ix) स्थायी परिसंपत्तियाँ (पूँजीगत)	4 (अ)	13-14
x) स्थायी परिसंपत्तियाँ (राजस्व)	4 (ब)	15-16
xi) पूँजी	4 (स)	17
xii) परिसंपत्तियाँ — अन्य (उपहारस्वरूप/प्रायोजित परियोजनाएँ)	4 (द)	18
xiii) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	19
xiv) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)	5 (अ)	19
xv) निवेश एवं अन्य	6	20
xvi) चालू परिसंपत्तियाँ	7	21
xvii) बैंक खातों का विवरण	7 (अ)	22
xviii) ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	23
xix) प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार	8 (अ)	24
ख. दिनांक 01.04.2022 से 31.03.23 तक आय एवं व्यय लेखा		25
i) अकादमिक प्राप्तियाँ	9	26
ii) अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्त अशोध्द्य अनुदान) 2021-22	10	27
iii) निवेशों से आय	11	28
iv) अर्जित ब्याज	12	29

विषय	अनुसूची	पृष्ठ सं.
v) अन्य आय	13	30
vi) पूर्वावधि आय	14	31
vii) स्टाफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	32
viii) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	15 (अ)	33
ix) अकादमिक व्यय	16	34
x) प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	17	35
xi) परिवहन व्यय	18	36
xii) मरम्मत एवं रखरखाव	19	37
xiii) वित्त लागत	20	38
xiv) अन्य व्यय	21	39
xv) पूर्वावधि व्यय	22	40
ग. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		41-43
घ. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र		44
ङ. सामान्य भविष्य निधि लेखा— 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा		45
च. सामान्य भविष्य निधि लेखा— वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		46
छ. नयी पेंशन योजना— 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र		47
ज. नयी पेंशन योजना— 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा		48
झ. नयी पेंशन योजना— 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		49-50
ञ. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23	51-54
ट. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियाँ	24	55-60
ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लेखा पर 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट		61-62
ड. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक		63

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
क. 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि ₹ में

निधियों के स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
समग्र/पूँजीगत निधि	1	(93,66,62,502)	(2,27,56,83,682)
अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	—	—
चालू देयताएँ और प्रावधान	3	20,81,36,49,592	20,69,52,28,145
	कुल	19,87,69,87,090	18,41,95,44,463

निधियों का प्रयोग	अनुसूची	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4		
मूर्त परिसंपत्तियाँ		2,03,08,58,921	1,89,78,02,752
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		85,06,014	59,87,492
चालू पूँजीगत कार्य		8,46,36,520	—
उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	—	—
दीर्घकालीन		—	—
अल्पकालीन		—	—
निवेश – अन्य	6	1,50,92,97,306	1,50,92,97,306
चालू परिसंपत्तियाँ	7	14,05,37,76,725	12,93,07,78,386
ऋण, अग्रिम और जमा	8	2,18,99,11,604	2,07,56,78,527
	कुल	19,87,69,87,090	18,41,95,44,463

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 1 — पूँजीगत निधि

		राशि ₹ में	
विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	
	(2,27,56,83,682)	(4,86,01,17,294)	
वर्ष के प्रारंभ में शेष			
जमा — पूँजीगत निधि में उपयोग	36,88,12,615	20,33,27,519	
जमा — भारत सरकार से प्राप्त अनदानों में से पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-	
जमा — सीपीडब्ल्यूडी मूल्य के अनुसार आरपीडीसी में भवन की वृद्धि	3,27,67,028	-	
जमा — उद्दिष्ट निधियों में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ	-	-	
जमा — प्रायोजित परियोजनाओं में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ, जहाँ संस्था का स्वामित्व हो	1,99,83,590	6,95,15,282	
जमा — दान प्राप्त परिसंपत्तियाँ/प्राप्त उपहार	5,42,448	31,38,489	
जमा — अन्य परिवर्धन/समायोजन	-	(30,59,241)	
जमा — आय एवं व्यय लेखा में से हस्तांतरित आय का व्यय से आधिक्य	91,69,15,499	2,31,15,11,563	
कुल	(93,66,62,502)	(2,27,56,83,682)	
घटा — आय एवं व्यय लेखा में से हस्तांतरित व्यय का आय से आधिक्य	-	-	
वर्ष के अंत में शेष	(93,66,62,502)	(2,27,56,83,682)	

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 2 — अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

राशि ₹ में

विवरण	निधिवार विवरण				कुल	
	निधि अ अ अ	निधि ब ब ब	निधि स स स	अक्षय निधियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
अ.						
क) आदि शेष	-	-	-	-	-	-
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
ग) निधियों में से किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
घ) निवेश/अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	-	-	-	-
ङ) बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
च) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ)	-	-	-	-	-	-
ब.						
निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय						
क.) पूँजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
ख.) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (ब)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अंतः शेष (अ-ब)	-	-	-	-	-	-
निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है—						
नकद एवं बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
प्रोद्भूत ब्याज किंतु अदेय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 — चालू देयताएँ एवं प्रावधान

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
अ. चालू देयताएँ		
1. स्टॉफ़ द्वारा जमा	-	-
2. विद्यार्थियों/विद्यालयों द्वारा जमा	-	48,92,732
3. विविध लेनदार		
क.) वस्तुएँ एवं सेवाओं के लिए	31,28,62,533	27,82,12,989
ख.) अन्य	-	(19,40,115)
4. जमा-अन्य (ई.एम.डी., प्रतिभूति जमा सहित)	8,25,29,066	10,11,17,963
5. सांविधिक देयताएँ (जी.पी.एफ़., टी.डी.एस., डब्ल्यू.सी. टैक्स, सी.पी.एफ़., जी.आई.एस., एन.पी.एस.) —		
क.) अतिदेय	-	-
ख.) अन्य	1,52,16,43,633	1,64,95,70,278
6. अन्य चालू देयताएँ		
क) वेतन	9,96,43,236	72,60,557
ख) पेंशन	-	-
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के संबंध में प्राप्तियाँ	-	-
घ) प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्राप्तियाँ	7,52,75,397	11,26,62,079
ड) अप्रयुक्त अनुदान	23,42,33,848	24,75,51,690
च) अग्रिम अनुदान	-	-
छ) अन्य निधियाँ	-	-
ज) अन्य देयताएँ	1,99,75,69,134	1,53,32,94,140
कुल (अ)	4,32,37,56,847	3,93,26,22,314
ब. प्रावधान		
1. प्रावधान	-	-
2. उपदान	73,74,50,350	87,84,49,498
3. अधिवर्षिता पेंशन	15,11,06,04,585	15,10,85,94,375
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	64,18,37,810	77,55,61,958
5. व्यापारिक वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ब)	16,48,98,92,745	16,76,26,05,831
कुल (अ+ब)	20,81,36,49,592	20,69,52,28,145

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
31.03.2023 को विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत कोषों की स्थिति

अनुसूची 3 (अ) — प्रायोजित परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राशि ₹ में					
		प्रायोजक एजेंसी	01.04.2022 को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/वसूली	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	31.03.2023 को अंतिम शेष
		1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)
1.	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मिशन, आई.यू.सी.टी.ई.	शिक्षा मंत्रालय	7,74,131	-	7,74,131	86,149	6,87,982
2.	(एस.एस.आई.एस. सभी परियोजनाएँ) आर.एम.एस.ए. (कला उत्सव सहित) आर.एम.एस.ए. प्रकोष्ठ, मध्यावधि सर्वेक्षण/एन.ए.एस. कक्षा V-VIII (एस.एस.आई.एस.-ई.एस.डी.) के तहत माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता को सुदृढ़ करना, क्यू.एम.टी. की पी.ए.बी. अनुमोदित परियोजना के लिए एस.एस.ए. के तहत अनुदान। प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम और समूह अकगणित (एस.एस.आई.एस.-डी.ई.ई.), सी.आई.ई.टी. (निष्ठा) और पी.ए.बी. परियोजना: आर.एम.एस.ए.-ई.एस.डी./एन.ए.एस., एन.आर.ओ.आई.आर., आई.सी.टी., मेला के तहत माध्यमिक स्तर पर अधिगम के स्तर के आधारभूत मूल्यांकन के संचालन के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का विकास, प्रारंभिक गतिविधियाँ / आई.सी.टी. शिक्षा में आई.सी.टी. के उपयोग के लिए अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (सी.आई.ई.टी.), दीक्षा सी.आई.ई.टी., आर.आई.ई., पी.एम. ई-विद्या का प्रबंधन (एक वर्ग, एक चैनल, रेडियो, प्रसारण, पॉडकास्ट) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) का विकास (एस.जी. 2+5+6+23 दीक्षा)	शिक्षा मंत्रालय	8,46,34,657	3,10,61,41,800	3,19,07,76,457	3,12,02,74,368	7,05,02,089
3.	टेलीविजन द्वारा पारस्परिक विचार - विमर्श के माध्यम से सेवाकालीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण (आई.पी.वी.टी. - आई.टी.वी.)	शिक्षा मंत्रालय	2,29,57,891	-	2,29,57,891	2,29,57,891	-

4.	सी.सी.ई. के विद्यमान एन.ए.एस. आंकड़ों के सुदृढीकरण के लिए विश्लेषण तथा प्रचार – प्रसार और विद्यालय आधारित मूल्यांकन एवं अधिगम संसाधन का विकास (ई.एस.डी.)	यूनिसैफ	1,23,001	-	1,23,001	1,23,001	-
5.	जेंडर समानता के परिप्रेक्ष्य से शिक्षा और कौशल विकास पर नीति अनुसंधान – भारत और कोरिया का एक तुलनात्मक अध्ययन (डी.जी.एस.)	कोरिया फाउंडेशन (के.एफ.)	25,230	-	25,230	25,230	-
6.	राष्ट्रीय कौशल अर्हता की रूपरेखा (एन.एस.क्यू.एफ. – पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.)	शिक्षा मंत्रालय	11,10,407	-	11,10,407	11,10,407	-
7.	स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रयोगात्मक नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान की योजना	शिक्षा मंत्रालय	9,27,429	-	9,27,429	9,27,429	-
8.	अध्ययन परियोजना (डी.पी.ई.पी.)	शिक्षा मंत्रालय	5,55,163	-	5,55,163	5,55,163	-
9.	यूनेस्को (सी.आई.ई.टी.)	यूनेस्को	2,65,568	-	2,65,568	2,65,568	-
10.	विद्यालय में केंद्र प्रायोजित योजना आई.सी.टी. के अंतर्गत सभी एस.आई.ई.टी. में उपकरणों का प्रतिस्थापन (सी.आई.ई.टी.)	शिक्षा मंत्रालय	2,20,177	-	2,20,177	2,20,177	-
11.	प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का पूर्व – स्वीकृत मूल्यांकन	शिक्षा मंत्रालय	2,04,358	-	2,04,358	2,04,358	-
12.	स्वयं प्रभा	शिक्षा मंत्रालय	8,33,573	-	8,33,573	2,716	8,30,857
13.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए योजना का मूल्यांकन	शिक्षा मंत्रालय	23,831	-	23,831	23,831	-
14.	डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत आधार रेखा उपलब्धि सर्वेक्षण	शिक्षा मंत्रालय	5,607	-	5,607	5,607	-
15.	वर्ष 2010-11 के दौरान विद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत “माध्यमिक गणित का आई.सी.टी. के साथ शिक्षण” परियोजना के कार्यान्वयन के लिए	शिक्षा मंत्रालय	1,056	-	1,056	1,056	-
16.	डी.टी.एच. टी.वी. चैनल	शिक्षा मंत्रालय	(4,91,039)	-	(4,91,039)	-	(4,91,039)
17.	सी-डैक (सी.आई.ई.टी.)	सी-डैक	(12,439)	-	(12,439)	-	(12,439)
18.	उपग्रह नेटवर्क	शिक्षा मंत्रालय	(8,45,132)	-	(8,45,132)	-	(8,45,132)

19. तृतीय पक्ष मूल्यांकन	शिक्षा मंत्रालय	(8,88,229)	-	(8,88,229)	-	(8,88,229)
20. ई-पीजी पाठशाला	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	(6,85,312)	-	(6,85,312)	-	(6,85,312)
21. प्रौढ शिक्षा का सुदृढीकरण, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एन.आई.एल.पी.) (एस.जी. 31)	शिक्षा मंत्रालय	(55,99,649)	3,29,99,303	2,73,99,654	2,41,45,185	32,54,469
22. मूक्स	शिक्षा मंत्रालय	(64,726)	-	(64,726)	20,70,949	(21,35,675)
23. एसजी-32 परख	शिक्षा मंत्रालय	-	2,94,65,211	2,94,65,211	2,94,65,211	-
कुल		10,40,75,553	3,16,86,06,314	3,27,26,81,867	3,20,24,64,296	7,02,17,571

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया और इसके साथ जुड़ी शर्तों को भी विधिवत् पूरा किया गया है। अनुसूची संख्या 8 में विशिष्ट अनुदानों का ऋण एवं अग्रिम में नामे शेष (ऋणात्मक शेष) दर्शाया गया है।

* क्रम संख्या 2 में प्राप्त राशि में वर्ष 2021-22 में काटे गए टीडीएस के 7,04,34,800/- रुपये शामिल हैं, जिन्हें उस वर्ष मान्यता नहीं दी गई थी।

* क्रम संख्या 3 से 11 और 13 से 15 की जमा राशि को बड़े खाते में डाल दिया गया है क्योंकि ये शेष 3 वर्ष से अधिक समय से अस्वामिक हैं और इसे अब चालू वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (ब) — प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ

राशि ₹ में

क्र. सं.	प्रायोजक का नाम	1.04.2022 को आदि शेष		वर्ष 2022-23 के दौरान लेन-देन		31.03.2023 को अंतः शेष	
		जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2.	मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी—

- कॉलम 7 (जमा) का योग उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र के देयता पक्ष में दर्शाया जाएगा। (अनुसूची 3)
- कॉलम 8 (नामे) का योग अनुसूची 8 (ऋण) में तुलन पत्र के परिसंपत्तियाँ पक्ष में प्राप्य के रूप में दर्शाया जाएगा।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (स) — भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
अ. पूँजी अनुदान — भारत सरकार		
अग्रणी शेष	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्रयुक्त आंतरिक प्राप्तियाँ	-	30,59,241
जमा — अर्जित ब्याज	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	35,75,58,246	18,66,73,245
कुल (क)	35,75,58,246	18,66,73,245
घटा — प्रतिदाय	-	-
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	35,75,58,246	18,66,73,245
कुल (ख)	35,75,58,246	18,66,73,245
अप्रयुक्त अग्रणी (क-ख)	-	-
ब. यू.जी.सी. अनुदान — पूँजीगत		
अग्रणी शेष	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (ग)	-	-
घटा — प्रतिदाय	-	-
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
कुल (घ)	-	-
अप्रयुक्त अग्रणी (ग-घ)	-	-
स. राजस्व अनुदान — भारत सरकार		
अग्रणी शेष	24,75,51,690	43,11,38,217
जमा — वर्ष के दौरान प्रयुक्त आंतरिक प्राप्तियाँ	-	-
जमा — अर्जित ब्याज	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	3,62,54,02,459	3,01,38,02,735
कुल (ड)	3,87,29,54,149	3,44,49,40,952
घटा — प्रतिदाय	5,33,53,840	-
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	3,57,41,12,092	3,18,07,34,988
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	1,12,54,369	1,66,54,274
कुल (च)	3,63,87,20,301	3,19,73,89,262
अप्रयुक्त अग्रणी (ड-च)	23,42,33,848	24,75,51,690
द. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान		
अग्रणी शेष	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (छ)	-	-
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
कुल (ज)	-	-
अप्रयुक्त अग्रणी (छ-ज)	-	-
कुल योग (अ+ब+स+द)	23,42,33,848	24,75,51,690

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 — स्थायी परिसंपत्तियों का समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खर्च				वर्ष के लिए मूल्यहास						शुद्ध खर्च	
		01.04.2022 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2023 को स्थिति (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	नि:शेष प्रतिशत	वर्ष के दौरान मूल्यहास	नि:शेष प्रतिशत	नि:शेष प्रतिशत	31.03.2023 तक मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2023 (4-10)	शुद्ध खर्च
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	37,54,08,505	1	-	37,54,08,506	-	0%	-	-	-	-	37,54,08,506	37,54,08,505
2.	भवन	94,99,83,539	10,80,64,407	-	1,05,80,47,946	1,89,99,673	2%	21,61,289	-	-	2,11,60,962	1,03,68,86,984	94,99,83,539
3.	सड़क एवं पुल	45,177	-	-	45,177	904	2%	-	-	-	904	44,273	45,177
4.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	3,81,951	-	-	3,81,951	7,639	2%	-	-	-	7,639	3,74,312	3,81,951
5.	नलकूप एवं जलानुपूर्ति	44,46,365	-	-	44,46,365	88,928	2%	-	-	-	88,928	43,57,437	44,46,365
6.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	6,27,45,451	57,83,296	1,07,37,083	5,77,91,664	31,37,273	5%	(2,47,689)	-	-	28,89,584	5,49,02,080	6,27,45,451
7.	संयंत्र और मशीन	1,10,87,271	84,54,341	-	1,95,41,612	5,54,364	5%	4,22,717	-	-	9,77,081	1,85,64,531	1,10,87,271
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	1,33,30,209	15,35,301	53,941	1,48,11,569	10,66,417	8%	1,18,509	-	-	11,84,926	1,36,26,643	1,33,30,209
9.	कार्यालय उपकरण	3,79,11,139	96,14,515	11,17,248	4,64,08,406	28,43,335	7.50%	6,37,295	-	-	34,80,630	4,29,27,775	3,79,11,139
10.	श्रृंख - दुर्यय उपकरण	8,12,60,819	2,13,24,271	-	10,25,85,090	60,94,561	7.50%	15,99,320	-	-	76,93,881	9,48,91,209	8,12,60,819
11.	कंप्यूटर एवं हिस्से पुर्जे	8,12,03,024	3,77,68,868	31,13,187	11,58,58,705	1,62,40,603	20%	69,31,137	-	-	2,31,71,740	9,26,86,965	8,12,03,024
12.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज - सज्जा	11,86,00,749	2,39,80,737	7,63,643	14,18,17,843	88,95,054	7.50%	17,41,283	-	-	1,06,36,337	13,11,81,506	11,86,00,749
13.	वाहन	17,95,734	1,85,238	-	19,80,972	1,79,573	10%	18,524	-	-	1,98,097	17,82,875	17,95,734
14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक परिकारें	8,99,18,101	1,12,54,369	-	10,11,72,470	89,91,812	10%	11,25,437	-	-	1,01,17,249	9,10,55,221	8,99,18,101
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	20,612	-	20,612	-	100%	20,612	-	-	20,612	-	-
	कुल (क)	1,82,81,18,034	22,79,85,956	1,57,85,102	2,04,03,18,888	6,71,00,136		1,45,28,434			8,16,28,570	1,95,86,90,317	1,82,81,18,034

16.	अन्य उपहार स्वरूप परिसंपत्तियाँ तथा प्रायोजित परियोजनाएँ अनुसूचक 4 (घ) का संदर्भ ले (कुल (ख))	6,96,84,718	2,05,26,038	-	9,02,10,756	-	20%	1,80,42,152	-	1,80,42,152	7,21,68,604	6,96,84,718	
	कुल (क + ख)	1,89,78,02,752	24,85,11,994	1,57,85,102	2,13,05,29,644	6,71,00,136		3,25,70,586	-	9,96,70,722	2,03,08,58,921	1,89,78,02,752	
17.	चालू पूंजीगत कार्य (ग)	-	8,46,36,520	-	8,46,36,520	-		-	-	-	8,46,36,520	-	
क्र. सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ		आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल परिशोधन/ समायोजन	31.03.2023	31.03.2022
18.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40,76,610	72,45,810	1,13,22,420	-	16,30,643	40%	28,98,324	-	45,28,967	67,93,453	40,76,610	
19.	ई-पत्रिकाएँ	19,10,882	9,43,387	28,54,269	-	7,64,353	40%	3,77,355	-	11,41,708	17,12,561	19,10,882	
20.	पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल (घ)	59,87,492	81,89,197	0	1,41,76,689	23,94,996		32,75,679	-	56,70,675	85,06,014	59,87,492	

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (अ) — स्थायी परिसंपत्तियाँ (पूँजीगत)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड					वर्ष के लिए मूल्यहास					शुद्ध खंड	
		01.04.2022 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2023 को (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के दौरान मूल्यहास	कटौतियाँ / कटौतियाँ	31.03.2023 तक कुल मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2023 (4-10)	शुद्ध खंड	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	37,54,08,505	1	-	37,54,08,506	-	0%	-	-	-	-	37,54,08,506	37,54,08,505
2.	भवन	91,23,61,613	10,80,64,407	-	1,02,04,26,020	1,82,47,234	2%	21,61,289	-	-	2,04,08,523	1,00,00,17,497	91,23,61,613
3.	सड़क एवं पुल	45,177	-	-	45,177	904	2%	-	-	-	904	44,273	45,177
4.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	2,79,816	-	-	2,79,816	5,596	2%	-	-	-	5,596	2,74,220	2,79,816
5.	नलकूप एवं जलापूर्ति	44,36,839	-	-	44,36,839	88,737	2%	-	-	-	88,737	43,48,102	44,36,839
6.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	4,77,03,549	49,16,307	1,07,37,083	4,18,82,773	23,85,177	5%	(2,91,038)	-	-	20,94,139	3,97,88,634	4,77,03,549
7.	संग्रह और मशीन	31,74,191	84,54,341	-	1,16,28,532	1,58,710	5%	4,22,717	-	-	5,81,427	1,10,47,105	31,74,191
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	31,67,367	9,57,011	-	41,24,378	2,53,389	8%	76,561	-	-	3,29,950	37,94,428	31,67,367
9.	कार्यालय उपकरण	2,08,58,403	88,88,337	6,20,234	2,91,26,506	15,64,380	7.50%	6,20,108	-	-	21,84,488	2,69,42,017	2,08,58,403
10.	श्रृंखला - दृश्य उपकरण	2,59,86,350	2,01,99,512	-	4,61,85,862	19,48,976	7.50%	15,14,963	-	-	34,63,939	4,27,21,923	2,59,86,350
11.	कंप्यूटर एवं हिस्से पुर्जे	4,18,07,457	3,59,36,090	29,35,827	7,48,07,720	83,61,490	20%	66,00,053	-	-	1,49,61,543	5,98,46,177	4,18,07,457
12.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज - सज्जा	5,81,16,349	2,14,86,862	4,74,950	7,91,28,261	43,58,726	7.50%	15,75,894	-	-	59,34,620	7,31,93,641	5,81,16,349
13.	वाहन	17,61,366	1,85,238	-	19,46,604	1,76,136	10%	18,524	-	-	1,94,660	17,51,944	17,61,366
14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	2,57,29,443	-	-	2,57,29,443	25,72,945	10%	-	-	-	25,72,945	2,31,56,498	2,57,29,443
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	15,942	-	15,942	-	100%	15,942	-	-	15,942	-	-
	कुल (क)	1,52,08,36,425	20,91,04,048	1,47,68,094	1,71,51,72,379	4,01,22,400		1,27,15,013	-	-	5,28,37,413	1,66,23,34,965	1,52,08,36,425

16.	अन्य (कुल ख)	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (क + ख)	1,52,08,36,425	20,91,04,048	1,47,68,094	1,71,51,72,379	4,01,22,400	1,27,15,013	-	5,28,37,413	1,66,23,34,965	1,52,08,36,425	-	-
17.	चालू पूंजीगत कार्य (ग)	-	8,46,36,520	-	8,46,36,520	-	0%	-	-	8,46,36,520	-	-	-
क्र. सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कर्तवियाँ	अंतःशेष	मूल्यह्रास आदि शेष	मूल्य ह्रास प्रतिशत	वर्ष के लिए परिसोधन	कर्तवियाँ/समायोजन	कुल परिसोधन/समायोजन	31.03.2023	31.03.2022	
18.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,25,201	64,01,291	-	66,26,492	90,080	40%	25,60,516	-	26,50,596	39,75,896	2,25,201	
19.	ई-पत्रिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (घ)	2,25,201	64,01,291	-	66,26,492	90,080		25,60,516	-	26,50,596	39,75,896	2,25,201	

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (ब) — स्थायी परिसंपत्तियाँ (राजस्व)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास						शुद्ध खंड	
		01.04.2022 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2023 (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	दोष प्रतिशत	वर्ष के दौरान मूल्यहास	दोष प्रतिशत	कटौतियाँ/समायोजन	31.03.2023 तक मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2023 (4-10)	31.03.2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
2.	भवन	3,76,21,926	-	-	3,76,21,926	7,52,439	2%	-	-	-	7,52,439	3,68,69,487	3,76,21,926
3.	सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	-	-
4.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	1,02,135	-	-	1,02,135	2,043	2%	-	-	-	2,043	1,00,092	1,02,135
5.	नलकूप एवं जलापूर्ति	9,526	-	-	9,526	191	2%	-	-	-	191	9,335	9,526
6.	विद्युत संस्थान एवं उपकरण	1,50,41,902	8,66,989	-	1,59,08,891	7,52,096	5%	43,349	-	-	7,95,445	1,51,13,446	1,50,41,902
7.	संग्रह और मशीन	79,13,080	-	-	79,13,080	3,95,654	5%	-	-	-	3,95,654	75,17,426	79,13,080
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	1,01,62,842	5,78,290	53,941	1,06,87,191	8,13,028	8%	41,948	-	-	8,54,976	98,32,215	1,01,62,842
9.	कार्यालय उपकरण	1,70,52,736	7,26,178	4,97,014	1,72,81,900	12,78,955	7.5%	17,187	-	-	12,96,142	1,59,85,758	1,70,52,736
10.	श्रृंखल - दृश्य उपकरण	5,52,74,469	11,24,759	-	5,63,99,228	41,45,585	7.5%	84,357	-	-	42,29,942	5,21,69,286	5,52,74,469
11.	कंप्यूटर एवं हिस्से पुर्जे	3,93,95,567	18,32,778	1,77,360	4,10,50,985	78,79,113	20%	3,31,084	-	-	82,10,197	3,28,40,788	3,93,95,567
12.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज - सज्जा	6,04,84,400	24,93,875	2,88,693	6,26,89,582	45,36,328	7.5%	1,65,389	-	-	47,01,717	5,79,87,865	6,04,84,400
13.	वाहन	34,368	-	-	34,368	3,437	10%	-	-	-	3,437	30,931	34,368
14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	6,41,88,658	1,12,54,369	-	7,54,43,027	64,18,867	10%	11,25,437	-	-	75,44,304	6,78,98,723	6,41,88,658
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	4,670	-	4,670	-	100%	4,670	-	-	4,670	-	-

	कुल (क)	30,72,81,609	1,88,81,908	10,17,008	32,51,46,509	2,69,77,736	18,13,421	-	2,87,91,157	29,63,55,352	30,72,81,609	
16.	कुल (ख)	-	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	
	कुल (क + ख)	30,72,81,609	1,88,81,908	10,17,008	32,51,46,509	2,69,77,736	18,13,421	-	2,87,91,157	29,63,55,352	30,72,81,609	
17.	चालू पूंजीगत कार्य (ग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
क्र. सं.	अपूर्ति परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/समायोजन	कुल परिशोधन/समायोजन	31.03.2023	31.03.2022
18.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	38,51,409	8,44,519	-	46,95,928	15,40,563	40%	3,37,808	-	18,78,371	28,17,557	38,51,409
19.	ई-मत्रिकाएँ	19,10,882	9,43,387	-	28,54,269	7,64,353	40%	3,77,355	-	11,41,708	17,12,561	19,10,882
20.	पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (द)	57,62,291	17,87,906	-	75,50,197	23,04,916	-	7,15,163	-	30,20,079	45,30,118	57,62,291

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (स) — पूंजी

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकाल खंड			वर्ष के लिए मूल्यहास				शुद्ध खंड			
		1.04.2022 को आदि शेष	परिचर्जन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	कटौतियों/समायोजन	कुल मूल्यहास	31.03.2023	31.03.2022
1.	पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ई-पत्रिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (द) — परिसंपत्तियाँ— अन्य (उपहार स्वरूप और प्रायोजित परियोजनाएँ)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड						शुद्ध खंड	
		1.04.2022 को आवि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च 2023 को (1+2-3)	कॉलम सं. 4 की 20%	कुल	31.03.2023 को (4-5)	31.03.2022 को
1.	विशिष्ट अनुदानों से अर्जित परिसंपत्तियाँ तथा उपहार स्वरूप परिसंपत्तियाँ	1	2	3	4	5	6	7	8
		6,96,84,718	2,05,26,038	-	9,02,10,756	1,80,42,152	1,80,42,152	7,21,68,604	6,96,84,718
	कुल (क)	6,96,84,718	2,05,26,038*	-	9,02,10,756	1,80,42,152	1,80,42,152	7,21,68,604	6,96,84,718
2.	चालू पूँजीगत कार्य (ख)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	कुल योग (क + ख)	6,96,84,718	2,05,26,038	-	9,02,10,756	1,80,42,152	1,80,42,152	7,21,68,604	6,96,84,718

वर्ष के दौरान परिवर्धनों में निम्नलिखित शामिल है	राशि
उपहार स्वरूप	5,42,448
उद्दिष्ट निधियाँ	-
प्रायोजित परियोजनाएँ	1,99,83,590
निजी निधियाँ	-
कुल	2,05,26,038

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 5 — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4.	शेयर	-	-
5.	ऋण पत्र तथा बॉन्ड	-	-
6.	बैंक में मियादी जमा	-	-
7.	अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची 5 (अ) — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	अक्षय निधि निवेश	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी — इस उप-अनुसूची का योग अनुसूची 5 के योग के अनुकूल होना चाहिए।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 6—निवेश-अन्य

		राशि ₹ में	
क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4.	शेयर	-	-
5.	सामान्य भविष्य निधि में से सृजित ऋण पत्र तथा बॉन्ड	1,60,00,000	1,60,00,000
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	(अ) सामान्य भविष्य निधि से सृजित दीर्घकालीन जमा*	1,49,32,97,306	1,49,32,97,306
	(ब) अल्पकालीन जमा	-	-
	कुल	1,50,92,97,306	1,50,92,97,306

*इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 — चालू परिसंपत्तियाँ

		राशि ₹ में	
क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	स्टॉक—		
	क) भंडार-मुद्रण कागज़	-	-
	ख) खुले उपकरण	-	-
	ग) प्रकाशन	2,59,90,19,313	2,20,64,41,666
	घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य वस्तुएँ एवं काँच के बर्तन	-	-
	ड) भवन सामग्री	-	-
	च) लेखन सामग्री	-	-
	छ) जलापूर्ति सामग्री	-	-
2.	विविध देनदार—		
	क) छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
	ख) अन्य	1,49,01,955	1,56,40,312
3.	नकद एवं बैंक शेष—		
	क) अनुसूचित बैंकों के पास—		
	चालू खातों में	43,300	57,400
	मियादी जमा खातों में	10,20,00,18,101	10,15,00,18,076
	बचत खातों में	1,16,26,85,435	55,86,20,931
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास—		
	मियादी जमा खातों में	-	-
	बचत खातों में	-	-
4.	प्राप्य टीडीएस	7,71,08,621	-
		कुल	14,05,37,76,725
			12,93,07,78,386

टिप्पणी — अनुसूची 7(अ) में बैंक खातों का विवरण दर्शाया गया है।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 (अ) — बैंक खातों का विवरण

राशि ₹ में

I. बचत बैंक खाते	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2022-23	2021-22
1. यू.जी.सी. खाते से अनुदान	-	-
2. विश्वविद्यालय प्राप्तिखाता	-	-
3. छात्रवृत्ति खाता	-	-
4. अकादमिक प्राप्तिखाता	-	-
5. विकास (पूँजी) खाता	-	-
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.बी.टी.) खाता	-	-
7. समग्र निधि खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
8. प्रायोजित परियोजनाएँ निधि खाता	-	-
9. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	-	-
10. अक्षय निधि एवं चेयर खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
11. यू.जी.सी. जे.आर.एफ. अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ.)	-	-
12. एच.बी.ए. निधि खाता	-	-
13. वाहन खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
14. यू.जी.सी. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ.)	-	-
15. अकादमिक विकास निधि खाता	-	-
16. जमा खाता	-	-
(एस.बी.आई. खाता सं.00000030078164863)-शिलांग	89,78,451	2,11,32,628
(एस.बी.आई. खाता सं.30174112500)-भुवनेश्वर	4,16,94,317	3,93,22,190
(एस.बी.आई. खाता सं.00000054035460003)-मैसूरू	4,10,84,139	6,48,93,455
(एस.बी.आई. खाता सं..10200605652)-अजमेर	3,22,60,009	2,56,54,566
(एस.बी.आई. खाता सं.10137881284)-सी.आई.ई.टी.	1,30,70,124	2,35,77,376
(एस.बी.आई. खाता सं..10137881342)-प्रकाशन	19,46,52,856	7,04,32,250
(एस.बी.आई. खाता सं.10121604354)-पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल	2,69,97,172	6,04,64,278
(एस.बी.आई. खाता सं..10137881331)-मुख्यालय, दिल्ली	73,94,48,062	19,16,64,046
(एस.बी.आई. खाता सं..10026515348)-भोपाल	5,51,40,987	5,31,20,177
(एस.बी.आई. खाता सं.64214245932)-मैसूरू	10,120	10,769
(एस.बी.आई. खाता सं..64072949232)-मैसूरू	1,00,000	1,00,000
(एस.बी.आई. खाता सं..38631734783)-मैसूरू	9,135	8,892
(एस.बी.आई. खाता सं..38950734642)-मैसूरू	2,66,247	1,79,640
(एस.बी.आई. खाता सं..37614943571)-मुख्यालय, दिल्ली	29,416	28,635
(एस.बी.आई. खाता सं..36242012130)-मुख्यालय, दिल्ली	88,70,018	79,59,622
(एस.बी.आई. खाता सं..36189339869)-मुख्यालय, दिल्ली	74,382	72,407
17. विद्यार्थी निधि खाता	-	-
18. विद्यार्थी सहायता निधि खाता	-	-
19. विशिष्ट योजनाओं के लिए पूँजीगत अनुदान	-	-
II. चालू खाता	43,300	57,400
III. अनुसूचित बैंको में मियादी जमा	10,20,00,18,101	10,15,00,18,076
कुल	11,36,27,46,836	10,70,86,96,407

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 — ऋण, अग्रिम एवं जमा

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज रहित)—		
	क) वेतन	-	-
	ख) त्यौहार	-	-
	ग) चिकित्सा अग्रिम	-	-
	घ) अन्य	2,60,586	28,26,898
2.	कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज वाहक)—		
	क) वाहन ऋण	2,86,970	3,60,352
	ख) गृह ऋण	1,20,90,689	71,95,572
	ग) कंप्यूटर	30,51,507	34,60,300
3.	नकद अथवा वस्तु में अथवा मूल्य के रूप में प्राप्त योग्य अग्रिम तथा अन्य धन राशियाँ—		
	क) पूँजीगत खातों पर	-	-
	ख) आपूर्तिकर्ताओं को	67,33,244	-
	ग) अन्य	1,79,41,36,739	1,76,20,58,704
4.	पूर्व प्रदत्त व्यय		
	क) बीमा	91,038	1,12,072
	ख) अन्य व्यय	1,01,67,698	89,56,662
5.	जमा—		
	क) टेलीफोन	-	-
	ख) पट्टा किराया	-	-
	ग) बिजली	-	-
	घ) ए.आई.सी.टी.ई. (लागू नहीं)	-	-
	ङ) अन्य	10,02,625	21,25,753
6.	प्रोद्भूत आय—		
	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेशों पर	-	-
	ख) निवेशों पर-अन्य	8,44,87,354	5,51,48,678
	ग) निवेशों पर-एस.टी.डी.	16,85,32,849	6,23,56,825
	घ) ऋण एवं अग्रिमों पर	20,20,258	17,63,030
	ङ) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल है)	-	-
7.	अन्य— यू.जी.सी./प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त चालू परिसंपत्तियाँ—		
	क) प्रायोजित परियोजनाओं में नामे शेष	50,57,826	1,49,33,375
	ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों में नामे शेष	61,34,592	74,492
	ग) प्राप्य अनुदान	-	-
	घ) अन्य प्राप्य	7,24,57,629	12,77,24,680
8.	प्राप्य दावे	2,34,00,000	2,65,81,131
	कुल	2,18,99,11,604	2,07,56,78,527

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 (अ) — प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार

राशि ₹ में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	01.04.2022 को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/वसूलियाँ	वापसी	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	31.03.2023 को अंतः शेष
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)		
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया और इसके साथ संलग्न शर्तों को भी यथोचित पूरा किया गया है।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ख. आय एवं व्यय लेखा

01/04/2022 से 31/03/2023

राशि ₹ में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
आय			
अकादमिक प्राप्तियाँ	9	11,03,00,394	8,03,77,000
अनुदान/आर्थिक सहायता	10	3,57,41,12,092	3,18,07,34,988
निवेशों से आय	11	47,66,69,232	29,40,70,193
अर्जित ब्याज	12	2,05,50,597	2,69,39,578
अन्य आय	13	6,13,27,17,514	4,04,36,93,478
पूर्वावधि आय	14	46,87,624	-
	कुल (अ)	10,31,90,37,453	7,62,58,15,237
व्यय			
स्टॉफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	3,07,64,31,022	1,24,39,87,708
अकादमिक व्यय	16	5,03,69,90,449	2,86,07,79,618
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	63,16,17,553	60,21,59,668
परिवहन व्यय	18	33,56,201	17,00,133
मरम्मत एवं रखरखाव	19	35,78,46,297	50,92,45,659
वित्त लागतें	20	1,13,172	5,40,269
अन्य व्यय	21	3,70,20,743	-
पूर्वावधि व्यय	22	15,34,05,119	1,68,608
मूल्यहास	4	10,53,41,397	9,57,22,011
	कुल (ब)	9,40,21,21,954	5,31,43,03,674
आय की व्यय से अधिकता (अ-ब) के परिणामस्वरूप		91,69,15,499	2,31,15,11,563
अभिहित निधि में/से हस्तांतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)		-	-
शेष का आधिक्य (घाटा) होने के कारण पूँजीगत निधि में ले जाया गया		91,69,15,499	2,31,15,11,563
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	24		

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 9 — अकादमिक प्राप्तियाँ

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
विद्यार्थियों से शुल्क		
अकादमिक		
1. शिक्षा शुल्क	1,11,26,974	2,44,36,127
2. प्रवेश शुल्क	27,27,994	27,84,272
3. नामांकन शुल्क	-	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	8,79,200	8,97,500
5. प्रयोगशाला शुल्क	17,80,300	18,12,200
6. कला एवं शिल्प शुल्क	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	4,57,800	4,48,007
8. पाठ्य-विवरण शुल्क	31,600	24,300
कुल (क)	1,70,03,868	3,04,02,406
परीक्षाएँ		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	4,36,914	61,705
3. अंक पत्रक, प्रमाण पत्र शुल्क	-	-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
कुल (ख)	4,36,914	61,705
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	2,92,410	2,20,410
2. जुर्माना/विविध शुल्क/अन्य शुल्क	2,12,89,783	99,87,495
3. चिकित्सा शुल्क	6,84,300	6,62,900
4. परिवहन शुल्क	8,200	-
5. कंप्यूटर प्रयोगशाला विकास शुल्क	20,73,600	7,80,200
6. छात्रावास शुल्क	16,59,275	22,30,800
कुल (ग)	2,60,07,568	1,38,81,805
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश पत्रों की बिक्री	2,63,500	3,25,600
2. पाठ्य-विवरण तथा प्रश्न-पत्र आदि की बिक्री	-	-
3. प्रवेश पत्र सहित विवरण पत्रिका की बिक्री	-	-
कुल (घ)	2,63,500	3,25,600
अन्य अकादमिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशालाएँ, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टॉफ़ महाविद्यालय)	-	-
3. लाइसेंस शुल्क	6,65,88,544	3,57,05,484
कुल (ङ)	6,65,88,544	3,57,05,484
कुल योग (क + ख + ग + घ + ङ)	11,03,00,394	8,03,77,000

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 10 — अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्ति अशोध्य अनुदान) 2022-23

राशि ₹ में

विवरण	पूँजी		कुल पूँजी	राजस्व यू.जी.सी./ भारत सरकार	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
	भारत सरकार	यू.जी.सी. पूँजी विशिष्ट योजना				
अग्रणीत शेष	-	-	-	24,75,51,690	24,75,51,690	24,75,51,690
जमा — आंतरिक प्राप्ति	-	-	-	-	-	30,59,241
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	35,75,58,246	-	35,75,58,246	3,62,54,02,459	3,98,29,60,705	3,19,74,16,739
कुल	35,75,58,246	-	35,75,58,246	3,87,29,54,149	4,23,05,12,395	3,63,16,14,197
घटा — यू.जी.सी./भारत सरकार को वापसी	-	-	-	5,33,53,840	5,33,53,840	-
शेष	35,75,58,246	-	35,75,58,246	3,81,96,00,309	4,17,71,58,555	3,63,16,14,197
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त (अ)	35,75,58,246	-	35,75,58,246	1,12,54,369	36,88,12,615	20,33,27,519
शेष	-	-	-	3,80,83,45,940	3,80,83,45,940	3,42,82,86,678
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त (ब)	-	-	-	3,57,41,12,092	3,57,41,12,092	3,18,07,34,988
शेष अग्रणीत (स)	-	-	-	23,42,33,848	23,42,33,848	24,75,51,690

अ. वर्ष के दौरान पूँजीगत निधि में परिवर्धन और स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया है।

ब. आय और व्यय लेखा में आय के रूप में दर्शाया गया है।

स. 1) तुलन पत्र में चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष में आदि शेष बन जाएगा।

2) परिसंपत्तियाँ पक्ष में बैंक शेष, निवेशों तथा अग्रिमों द्वारा दर्शाया गया है।

टिप्पणी — राजस्व यू.जी.सी. से अनुदान की राशि भारत सरकार से अनुदान को दर्शाती है।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 11 — निवेशों से आय

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधि		अन्य निवेश	
		चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	ब्याज				
	सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	अन्य बंध पत्र/ऋणपत्र	-	-	-	-
2.	मियादी जमा पर ब्याज				
	दीर्घकालीन	-	-	8,63,20,036	6,51,99,702
	अल्पकालीन	-	-	38,94,57,510	22,66,66,397
3.	निम्नत पर आय प्रोद्भूत किंतु देय नहीं				
	मियादी जमा/कर्मचारियों को सब्याज	-	-	-	-
	कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	-	-
4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	-	-	-	-
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)				
	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	-	-	8,91,686	14,90,191
	बैंक गारंटी पर ब्याज	-	-	-	7,13,903
			कुल	47,66,69,232	29,40,70,193
	उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में स्थानान्तरित	-	-	-	-
	शेष	-	-	-	-

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 12 — अर्जित ब्याज

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	2,05,50,597	2,69,39,578
2.	ऋणों पर	-	-
	अ) कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
	ब) अन्य	-	-
3.	देनदार तथा अन्य प्राप्यों पर	-	-
	कुल	2,05,50,597	2,69,39,578

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 13 — अन्य आय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
अ. भूमि एवं भवन से आय		
1. छात्रावास कक्ष किराया	-	-
2. लाइसेंस शुल्क	-	-
3. सभागार/खेलकूद मैदान/समागम केंद्र आदि का भाड़ा	-	-
4. वसूल किए गए विद्युत प्रभार	-	-
5. वसूल किए गए जल प्रभार	-	-
कुल (अ)	-	-
ब. संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री	4,12,18,57,421	3,49,86,33,772
कुल (ब)	4,12,18,57,421	3,49,86,33,772
स. आयोजनों से आय		
1. वार्षिक समारोह/खेल उत्सव से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – वार्षिक समारोह/खेल उत्सव पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
2. मेलों से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – मेलों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
3. शैक्षिक भ्रमणों के लिए सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – भ्रमणों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट एवं पृथक रूप से दर्शाया जाना है)	-	-
कुल (स)	-	-
द. अन्य		
1. परामर्शी सेवा से आय	-	-
2. सूचना का अधिकार शुल्क	5,019	3,388
3. रॉयल्टी से आय	46,87,75,211	37,46,55,306
4. विज्ञान किटों की बिक्री	1,40,81,86,477	-
5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा फार्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	2,66,91,943	2,14,180
6. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-
7. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	-
क) निजी परिसंपत्तियाँ	3,16,220	(33,026)
ख) निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
8. संस्थानों, कल्याण निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान	-	-
9. अन्य	-	-
संपत्ति पर निवेश से आय	2,56,07,028	1,70,60,031
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	37,04,031	21,12,227
के.स.स्वा.यो. अंशदान	1,01,54,486	1,01,35,186
मृत्यु राहत योजना (डी.आर.एस.)	1,96,833	2,31,870
विविध प्राप्तियाँ	6,72,22,845	14,06,80,544
कुल (द)	2,01,08,60,094	54,50,59,706
कुल योग (अ+ब+स+द)	6,13,27,17,514	4,04,36,93,478

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 14 — पूर्वावधि आय

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1.	अकादमिक प्राप्तियाँ	-	-
2.	निवेशों से आय	-	-
3.	अर्जित ब्याज	-	-
4.	अन्य आय	46,87,624	-
	कुल	46,87,624	-

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 15 — स्टाफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23			पिछला वर्ष 2021-22		
	पूँजी	राजस्व	कुल	पूँजी	राजस्व	कुल
क) वेतन और मजदूरी	-	1,46,44,04,244	1,46,44,04,244	-	1,54,87,13,800	1,54,87,13,800
ख) भत्ते और बोनस	-	11,85,29,653	11,85,29,653	-	10,32,02,001	10,32,02,001
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें) — एन.पी.एस.	-	6,09,06,507	6,09,06,507	-	5,61,51,410	5,61,51,410
ङ) स्टाफ़ कल्याण व्यय	-	15,47,123	15,47,123	-	3,49,584	3,49,584
च) सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	-	1,28,95,71,117	1,28,95,71,117	-	(60,20,91,536)	(60,20,91,536)
छ) एल.टी.सी. सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
ज) चिकित्सा सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
झ) संतान शिक्षा भत्ता	-	-	-	-	-	-
ञ) मानदेय	-	-	-	-	-	-
ट) अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-	-	-	-	-
मृत्यु राहत योजना (डी.आर.एस.)	-	2,49,333	2,49,333	-	12,00,024	12,00,024
के.स.स्वा.यो.	-	3,02,50,633	3,02,50,633	-	2,32,67,152	2,32,67,152
डी.एल.आई.एस.	-	2,40,000	2,40,000	-	2,40,000	2,40,000
एल.एस.पी.सी.	-	46,74,084	46,74,084	-	23,60,310	23,60,310
त्वौहार व्यय	-	-	-	-	-	-
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज व्यय	-	10,60,58,328	10,60,58,328	-	11,05,94,963	11,05,94,963
कुल	-	3,07,64,31,022	3,07,64,31,022	-	1,24,39,87,708	1,24,39,87,708

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 15 (अ) — कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ

राशि ₹ में

विवरण	पेंशन	उपादान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
01.04.2022 को आदि शेष	15,10,85,94,375	87,84,49,498	77,55,61,958	16,76,26,05,831
जमा: अन्व संगठनों से प्राप्त राशि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	-	-	-	-
कुल (अ)	15,10,85,94,375	87,84,49,498	77,55,61,958	16,76,26,05,831
घटा: वर्ष (ब) के दौरान वास्तविक भुगतान	1,33,34,33,180	12,62,18,767	10,26,32,256	1,56,22,84,203
31.03.2023 को उपलब्ध शेष स (अ-ब)	13,77,51,61,195	75,22,30,731	67,29,29,702	15,20,03,21,628
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2023 को अपेक्षित प्रावधान (द)	15,11,06,04,585	73,74,50,350	64,18,37,810	16,48,98,92,745
क. चालू वर्ष 2022-23 में किया जाने वाला प्रावधान (द-स)	1,33,54,43,390	(1,47,80,381)	(3,10,91,892)	1,28,95,71,117
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान	-	-	-	-
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ. सेवानिवृत्ति पर मूलनिवास स्थान को यात्रा	-	-	-	-
ड. जमा लिंक बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग+घ)	1,33,54,43,390	(1,47,80,381)	(3,10,91,892)	1,28,95,71,117

टिप्पणी—

1. इस उप-अनुसूची का योग (क+ख+ग+घ) अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ की राशि के रूप में दर्शाया जाएगा।
2. में ख, ग, घ एवं ड का प्रोद्भवन आधार पर लेखा किया जाएगा तथा इसमें 31/3/2023 को अधिमाम्य किंतु भुगतान के लिए बकाया बिल शामिल होंगे।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 16 — अकादमिक व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23			पिछला वर्ष 2021-22		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
क. प्रयोगशाला व्यय	-	12,22,813	12,22,813	-	9,81,364	9,81,364
ख. क्षेत्र कार्य/सम्मेलनों में प्रतिभागिता	-	-	-	-	-	-
ग. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर व्यय	-	46,37,39,714	46,37,39,714	-	38,50,22,700	38,50,22,700
घ. विजिटिंग फैकल्टी को भुगतान	-	-	-	-	-	-
ङ. परीक्षा	-	-	-	-	-	-
च. विद्यार्थी कल्याण व्यय	-	19,29,481	19,29,481	-	10,36,561	10,36,561
छ. प्रवेश व्यय	-	-	-	-	-	-
ज. दीक्षांत समारोह व्यय	-	-	-	-	-	-
झ. प्रकाशन*	-	3,13,39,08,116	3,13,39,08,116	-	2,45,89,29,333	2,45,89,29,333
ञ. विज्ञान किटों की खरीद	-	1,40,81,86,477	1,40,81,86,477	-	-	-
ट. अध्येतावृत्ति/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	1,31,05,836	1,31,05,836	-	50,37,793	50,37,793
ठ. अभिदान व्यय	-	-	-	-	-	-
ड. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	1,48,98,012	1,48,98,012	-	97,71,866	97,71,866
कुल	-	5,03,69,90,449	5,03,69,90,449	-	2,86,07,79,618	2,86,07,79,618

*प्रकाशन (स्टॉक में परिवर्तन शामिल है।)

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 17 — प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23			पिछला वर्ष 2021-22		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
अ. अवसंरचना						
क) विद्युत एवं बिजली	-	6,30,52,868	6,30,52,868	-	6,68,06,764	6,68,06,764
ख) जल प्रभार	-	1,35,31,185	1,35,31,185	-	29,80,672	29,80,672
ग) बीमा	-	-	-	-	-	-
घ) किराया, देे एवं कर (संपत्ति कर सहित)	-	18,99,91,776	18,99,91,776	-	21,12,98,009	21,12,98,009
ब. संचार						
ड) डाक एवं लेखन सामग्री	-	97,88,471	97,88,471	-	1,19,78,810	1,19,78,810
च) टेलीफोन, फ़ैक्स तथा इंटरनेट प्रभार	-	30,01,163	30,01,163	-	23,74,229	23,74,229
स. संविदा कर्मचारियों को वेतन	-	4,81,08,874	4,81,08,874	-	-	-
द. अन्य						
छ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री (अपभोग)	-	6,89,316	6,89,316	-	6,74,517	6,74,517
ज) यात्रा एवं वाहन व्यय	-	5,24,495	5,24,495	-	6,19,392	6,19,392
झ) आतिथ्य	-	3,89,332	3,89,332	-	6,25,652	6,25,652
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	-	13,36,621	13,36,621	-	15,96,387	15,96,387
ट) संब्यावसायिक प्रभार	-	17,54,468	17,54,468	-	8,26,834	8,26,834
ठ) विज्ञापन एवं प्रचार	-	36,62,668	36,62,668	-	48,15,779	48,15,779
ड) पत्रिकाएँ एवं दैनिकी	-	60,271	60,271	-	-	-
ढ) कार्यालय व्यय	-	19,79,67,323	19,79,67,323	-	17,82,28,434	17,82,28,434
ण) अन्य	-	9,77,58,723	9,77,58,723	-	11,93,34,189	11,93,34,189
कुल	-	63,16,17,553	63,16,17,553	-	60,21,59,668	60,21,59,668

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 18 — परिवहन व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23			पिछला वर्ष 2021-22		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
1. वाहन (संस्था के स्वामित्व में)						
अ) संचालन व्यय	-	9,26,197	9,26,197	-	4,50,531	4,50,531
ब) मरम्मत एवं रखरखाव	-	8,62,303	8,62,303	-	8,57,278	8,57,278
स) बीमा व्यय	-	-	-	-	-	-
2. किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन						
अ) किराया/पट्टा व्यय	-	-	-	-	-	-
3. वाहन (टेक्सी) भाड़ा व्यय						
	-	15,67,701	15,67,701	-	3,92,324	3,92,324
कुल	-	33,56,201	33,56,201	-	17,00,133	17,00,133

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 19 — मरम्मत एवं रखरखाव

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23			पिछला वर्ष 2021-22		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
क) भवन	-	34,44,42,075	34,44,42,075	-	50,11,48,509	50,11,48,509
ख) फ़र्नीचर एवं फ़िक्सचर	-	1,30,00,809	1,30,00,809	-	78,77,156	78,77,156
ग) पूँजी एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-
घ) कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-
ड) कंप्यूटर	-	-	-	-	-	-
च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपस्कर	-	-	-	-	-	-
छ) श्रृंखल-दृश्य उपस्कर	-	-	-	-	-	-
ज) सफ़ाई सामग्री एवं सेवा	-	-	-	-	-	-
झ) पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार	-	-	-	-	-	-
ञ) बागवानी	-	-	-	-	-	-
ट) संपदा रखरखाव	-	-	-	-	-	-
ठ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	4,03,413	4,03,413	-	2,19,994	2,19,994
कुल	-	35,78,46,297	35,78,46,297	-	50,92,45,659	50,92,45,659

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 20 — वित्त लागत

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23			पिछला वर्ष 2021-22		
	पूँजी	राजस्व	कुल	पूँजी	राजस्व	कुल
क) बैंक प्रभार	-	1,13,172	1,13,172	-	5,40,269	5,40,269
ख) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	1,13,172	1,13,172	-	5,40,269	5,40,269

टिप्पणी—

यदि राशि महत्वपूर्ण नहीं हो तो बैंक प्रभार के शीर्ष को हटाया जा सकता है और इनका लेखाकरण अनुसूची 17 में प्रशासनिक व्यय में किया जा सकता है।

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 21 — अन्य व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23		पिछला वर्ष 2021-22	
	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
क) डूबे हुए और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	3,64,97,417	-	-
ख) बड़े खाते डाले गए अशोध्य शेष	-	-	-	-
ग) बड़े खाते डाली गई स्थायी परिसंपत्तियाँ/स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	5,23,326	-	-
घ) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/आर्थिक सहायता	-	-	-	-
ड) अन्य(निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	3,70,20,743	-	-

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 22 — पूर्वावधि व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23		पिछला वर्ष 2021-22	
	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
1. स्थापना व्यय	-	11,91,29,670	-	-
2. अकादमिक व्यय	-	-	-	-
3. प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-
4. परिवहन व्यय	-	-	-	-
5. मरम्मत एवं रखरखाव	-	-	-	-
6. कार्यक्रम व्यय	-	-	-	-
7. अन्य व्यय	-	3,42,75,449	-	1,68,608
कुल	-	15,34,05,119	-	1,68,608
				1,68,608

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ग. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि ₹ में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. आदि शेष	-	-	1. व्यय		
अ) नकद शेष	-	-	क) स्थापना व्यय	2,51,25,42,339	2,19,83,56,325
ब) बैंक शेष			ख) अकादमिक व्यय	3,02,34,79,570	1,76,04,78,321
(i) चालू खातों में	57,400	24,351	ग) प्रशासनिक व्यय	1,49,10,20,528	1,45,74,56,216
(ii) जमा खातों में	18,076	18,075	घ) परिवहन व्यय	1,36,38,822	53,25,032
(iii) बचत खातों में	55,86,20,931	1,14,93,70,496	ड) मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	28,78,60,637	33,82,95,638
			च) पूर्व अर्वाधि व्यय	-	-
2. प्राप्त अनुदान					
अ) भारत सरकार से	3,98,29,60,705	3,19,74,16,739	2. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए भुगतान	-	-
ब) भारत की राज्य सरकार से	-	-			
स) अन्य स्रोतों से	-	-	3. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए भुगतान	3,17,60,44,578	85,57,42,156
(पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान, यदि उपलब्ध हो तो पृथक दर्शाया जाएगा)					

				4. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए भुगतान	1,31,05,836	50,37,793
3. अकादमिक प्राप्तियाँ	11,29,51,518	8,03,64,441				
4. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए प्राप्तियाँ	-	-		5. किए गए निवेश और जमा— अ) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से ब) स्व-निधि से (निवेश— अन्य)	-	-
5. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्राप्तियाँ	3,09,81,71,514	68,04,22,639		6. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	11,82,00,00,000	11,51,99,95,000
6. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों की प्राप्तियाँ	-	-		7. स्थायी परिसंपत्तियों और चालू कार्य पूंजी पर व्यय— अ) स्थायी परिसंपत्तियाँ ब) चालू कार्य पूंजी	36,44,71,543	23,92,18,337
7. निवेश पर आय— अ) उद्दिष्ट/अक्षय निधि ब) अन्य निवेश	5,69,81,360	5,64,07,966		8. सांविधिक भुगतानों सहित अन्य भुगतान	1,03,73,92,505	75,26,74,732
8. निम्नवत् पर प्राप्त ब्याज— अ) बैंक जमा	28,30,55,637	22,04,68,577		9. अनुदानों की वापसी	-	-

ब) ऋण और अग्रिम	6,34,459	9,33,883			
स) बचत बैंक खाते	2,05,50,597	2,69,39,578	10. जमा और अग्रिम	3,87,89,155	40,50,107
द) बैंक गारंटी	-	7,13,903			
9. नकदीकृत निवेश	-	-	11. अन्य भुगतान	11,83,07,60,702	7,46,99,51,787
10. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा नकदीकृत	11,77,00,00,000	9,33,00,00,000	12. अंतः शेष—		
			अ) हस्तागत नकद	-	-
11. अन्य आय (पूर्व-अवधि आय सहित)	3,74,80,36,559	3,29,19,25,664	ब) बैंक शेष	-	-
			चालू खाते में	43,300	57,400
12. जमा और अग्रिम	1,88,36,516	3,35,39,019	बचत खाते में	1,16,26,85,435	55,86,20,931
			जमा खाते में	18,101	18,076
13. विविध प्राप्तियों साविधिक प्राप्तियों सहित	7,43,85,57,092	4,07,10,11,899			
14. कोई अन्य प्राप्तियाँ	5,68,24,20,688	5,02,57,20,623			
कुल	36,77,18,53,052	27,16,52,77,852	कुल	36,77,18,53,052	27,16,52,77,852

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
घ. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि ₹ में

देयताएँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
सा.भ.नि.					
आदि शेष	1,65,99,69,934	1,59,05,94,482	निवेश	1,50,92,97,306	1,50,92,97,306
जमा — वर्ष में अभिदान	20,71,35,673	23,88,01,803	31.03.2023 को प्रोद्भूत ब्याज	8,44,87,354	5,51,48,678
जमा — जमा किया गया ब्याज	10,60,58,328	11,05,94,963			
घटा — अग्रिम/निकासी	(45,30,79,100)	(28,00,21,314)			
अंतः शेष	1,52,00,84,835	1,65,99,69,934			
अ.भ.नि.			बैंक में नकद राशि		
आदि शेष	3,34,264	3,34,264	बैंक में शेष	-	5,31,29,321
जमा — वर्ष में अभिदान	-	-			
जमा — जमा किया गया ब्याज	-	-			
घटा — अग्रिम/निकासी	-	-			
अंतः शेष	3,34,264	3,34,264			
एनसीईआरटी द्वारा वित्तपोषित	13,58,32,747	-			
अतिरिक्त योगदान					
अधिशेष/(घाटा) —					
आदि शेष	(4,27,28,893)	26,66,368			
घटा — आय से व्यय की अधिकता	(1,97,38,292)	(4,53,95,261)			
जमा — आय की व्यय से अधिकता	-	-			
अंतः शेष	(6,24,67,185)	(4,27,28,893)			
कुल	1,59,37,84,660	1,61,75,75,305	कुल	1,59,37,84,660	1,61,75,75,305

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ड. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि ₹ में

व्यय	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	आय	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
जमा ब्याज					
सा.भ.नि. खाता	10,60,58,328	11,05,94,963	निवेश पर अर्जित ब्याज	5,69,81,360	5,64,07,966
अ.भ.नि. खाता	-	-	जमा — मार्च तक प्रोद्भूत ब्याज	8,44,87,354	5,51,48,678
परिषद् का योगदान (अ.भ.नि.)	-	-	घटा — पिछले वर्षों का प्रोद्भूत ब्याज	(5,51,48,678)	(4,63,56,942)
			व्यय की आय से अधिकता	1,97,38,292	4,53,95,261
कुल	10,60,58,328	11,05,94,963	कुल	10,60,58,328	11,05,94,963

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
च. सामान्य भविष्य निधि लेखा — वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि ₹ में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
आदि शेष	5,31,29,321	7,79,35,866	सा.भ.नि. अग्रिम निकासी	45,30,79,100	28,00,21,314
सा.भ.नि. अभिदान	20,71,35,673	23,88,01,803	अ.भ.नि. अग्रिम निकासी	-	-
अ.भ.नि. अभिदान	-	-	वर्ष के दौरान किए गए निवेश	92,00,00,000	1,01,99,95,000
एनसीईआरटी द्वारा वित्तपोषित अतिरिक्त योगदान*	13,58,32,747	-			
निवेश नकदीकृत	92,00,00,000	98,00,00,000	अंत शेष:		
प्राप्त ब्याज	5,69,81,360	5,64,07,966	बचत खाता		
कुल	1,37,30,79,100	1,35,31,45,635	कुल	1,37,30,79,100	1,35,31,45,635

*टिप्पणी—

- जीपीएफ निकासी के लिए अतिरिक्त योगदान को एनसीईआरटी द्वारा वित्त पोषित किया गया। जीपीएफ निकासी के समायोजन के बिना 92,00,00,000/- रुपये का निवेश नवीनीकृत किया गया। इस प्रकार 13,58,32,746.30 रुपये का अतिरिक्त निवेश अगले वर्ष निवेश के नवीनीकरण पर समायोजित किया जाएगा।
- दिनांक 27.03.2023 से सामान्य भविष्य निधि के नाम से अलग बैंक खाता।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

छ. नई पेंशन योजना — 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि ₹ में

देयताएँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
एन.पी.एस. निधि —					
निजी अंश	1,11,07,414	1,00,91,804	निवेश	50,00,000	50,00,000
परिषद अंश	1,80,76,174	1,66,28,520	जमा: वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	67,500	75,441
अधिशेष/घाटा —					
आदि शेष	30,87,100	23,71,287	प्राप्त होने वाली सदस्यता (2015-16 और 2016-2017)	42,706	42,706
वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय	10,30,594	7,15,813	बैंक में नकदी	2,98,09,626	2,63,68,785
देयताएँ —					
गैर-योजना ग्राहकों को भुगतान की जाने वाली राशि	16,79,508	16,79,508	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टी.डी.एस	25,287	-
			वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टी.डी.एस	35,671	-
कुल	3,49,80,790	3,14,86,932	कुल	3,49,80,790	3,14,86,932

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ज. नई पेंशन योजना — 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि ₹ में

व्यय	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	आय	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
बैंक प्रभार	289	-	अर्जित ब्याज एफ.डी.आर. बचत बैंक पूर्वाविधि ब्याज	2,53,296 7,42,357 35,671	1,63,972 5,37,198 -
व्यय से अधिक आय	10,30,594	7,15,813	जमा — वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज टी.डी.आर. बचत बैंक खाता 30004257450	75,000 -	75,441 -
			घटा— पिछले वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	(75,441)	(60,798)
कुल	10,30,883	7,15,813	कुल	10,30,883	7,15,813

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
डॉ. नई पेंशन योजना — 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि ₹ में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
आदिशेष—			एन.एस.डी.एल. को भेजा गया भुगतान		
हस्तागत रोकड़	-	-	निजी अंश	4,24,29,123	3,72,17,749
बैंक में रोकड़	2,63,68,785	1,96,15,695	परिषद् अंश	5,93,97,943	5,20,59,341
			समायोजन	-	18,607
अंशदान—			एम.वी.एस.वी.प्रसाद का योगदान		
निजी अंश	4,35,05,642	4,01,19,251	मल्लौमा प्रसाद को किया गया निजी अंश का भुगतान	16,67,597	-
परिषद् का अंश	6,09,06,507	5,61,14,704	एनसीईआरटी को भेजा गया परिषद् अंश	16,67,597	-
			वर्ष के दौरान किया गया निवेश	50,00,000	50,00,000
			सा.भ.नि. विकल्प		
एन.एस.डी.एल. से (एम.वी.एस.वी.के पक्ष में)			निजी अंश (जी.पी.एफ. को)	16,24,050	-
निजी अंश	16,67,597	-	परिषद् अंश (एनसीईआरटी/ विविध)	16,24,059	-
परिषद् का अंश	16,67,597	-			

एन.एस.डी.एल से (जीपीएफ विकल्प)	32,48,110	-	जे.एन.यू. को भेजा गया	-	-
गैर-पी.आर.ए.एन.प्राप्तियाँ	-	-	निजी अंश	60,910	-
			परिषद अंश	60,910	-
नकदीकृत निवेश	50,00,000	41,13,662	बैंक प्रभार	289	-
नकदीकृत निवेश पर ब्याज	2,35,509	1,63,972			
			अंतः शेष		
			हस्तागत रोकड़	-	-
बचत बैंक खाता पर ब्याज	7,42,357	5,37,198	बैंक में रोकड़	2,98,09,626	2,63,68,785
कुल	14,33,42,104	12,06,64,482	कुल	14,33,42,104	12,06,64,482

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 23 — ज. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा प्रस्तुति के लिए आधार

लेखा को परंपरागत लागत की परिपाटी और सामान्यतः लेखा की प्रोद्भवन प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 विद्यार्थियों से शुल्क (शिक्षा शुल्क के अलावा), प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री, रॉयल्टी और बचत खाते पर ब्याज का लेखाकरण नकद आधार पर किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से प्राप्त शिक्षा शुल्क का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य संपत्ति से आय तथा निवेश पर ब्याज का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.3 गृह निर्माण, वाहन एवं कंप्यूटर खरीद के लिए स्टाफ को ब्याज पर दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखाकरण प्रत्येक वर्ष प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण पुनर्भुगतान के पश्चात आरंभ होती है।
- 2.4 पुस्तकों/विज्ञान किटों/श्रव्य और दृश्य सी.डी. से राजस्व का लेखाकरण बिक्री आय, छूट तथा व्यापारिक बट्टे के शुद्ध पर किया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ और मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन, संस्थापन और प्रवर्तन से संबंधित संगत और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 3.2 उपहार/दानस्वरूप परिसंपत्तियों को, जहाँ उपलब्ध हो घोषित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, घोषित मूल्य उपलब्ध न होने पर परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित समायोजन से अनुमानित किया जाता है। इन्हें पूँजीगत निधि से जमा पर स्थापित किया जाता है और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में विलय किया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लागू दर से भारित किया जाता है।
- 3.3 स्थायी परिसंपत्तियों को लागत से संचित मूल्यहास घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर निम्नवत दरों पर किया जाता है—

मूर्त परिसंपत्तियाँ—

1. भूमि	0%
2. स्थल का विकास	0%
3. भवन	2%
4. सड़कें एवं पुल	2%
5. नलकूप एवं जलापूर्ति	2%
6. सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	2%
7. विद्युतकीय संस्थापन एवं उपकरण	5%
8. संयंत्र और मशीनरी	5%
9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%

10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	श्रुत्य-दृश्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	20%
13.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज-सज्जा	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	10%

अमूर्त परिसंपत्तियाँ (परिशोधन)

1.	ई-पत्रिकाएँ	40%
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार	9 वर्ष

- 3.4 वर्ष के दौरान जोड़ी गई एवं हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाता है।
- 3.5 जब किसी परिसंपत्ति का पूर्णतया मूल्यहास होता है तो इसको तुलन पत्र में 1 रुपये के अवशिष्ट मूल्य पर रखा जाएगा और इसके आगे इसका मूल्यहास नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त परिवर्धन पर मूल्यहास की गणना अलग से उस परिसंपत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर पर की जाती है।
- 3.6 उद्दिष्ट निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से सुजित परिसंपत्तियाँ, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्था में निहित है, पूँजीगत निधि से जमा पर स्थापित की जाती हैं और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में इनका विलय कर दिया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लागू दर से प्रभारित किया जाता है।
- 3.7 जिन परिसंपत्तियों में प्रत्येक का मूल्य ₹ 2000/- या कम है (पुस्तकालय पुस्तकों के अलावा) उनको लघु मूल्य परिसंपत्तियाँ माना जाता है, ऐसी परिसंपत्तियों के लिए उनके अर्जन के समय 100% मूल्यहास लगाया जाता है। तथापि, ऐसी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण इनके धारकों द्वारा किया जाता है।
- 3.8 के.लो.नि.वि. विभाग/एकक से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों की पहचान करना एनसीईआरटी की परिपाटी है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार, ई-पत्रिकाएँ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त परिसंपत्तियों के समूह में रखा गया है।

- 4.1 **पेटेंट-** पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किए गए खर्च (आवेदन शुल्क, कानूनी खर्च आदि) का अस्थायी तौर पर पूँजीकरण कर दिया जाता है जो तुलन पत्र में अमूर्त परिसंपत्तियों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट्स के लिए आवेदन अस्वीकार होते हैं तो पेटेंट विशेष पर किए गए संचयी खर्च को आवेदन के अस्वीकार किए गए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा के बड़े खाते डाला जाएगा। प्रदत्त पेटेंटों पर किए गए खर्च को परिमित आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बड़े खाते डाला जाएगा।
- 4.2 **इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएँ-** ई-पत्रिकाओं को इस दृष्टि से पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है क्योंकि उनको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने से सीमित लाभ प्राप्त किए जा सकते थे। ई-पत्रिकाएं मूर्त रूप में नहीं हैं परंतु अस्थायी रूप से पूँजीकृत हैं और अकादमिक तथा अनुसंधान स्टाफ द्वारा अर्जन किए गए निरंतर ज्ञान के संबंध में खर्च की मात्रा और प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ई-पत्रिकाओं पर मूल्यहास 40% की उच्चतर दर से लगाया गया जो कि पुस्तकालय की पुस्तकों पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 10% से अधिक लगाई गई है।

- 4.3 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर खर्च को कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों से अलग किया गया है क्योंकि अमूर्त परिसंपत्तियां होने के अलावा इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में दी गई मूल्यहास की 40% उच्चतर दर कंप्यूटरों एवं सहायक उपकरणों के मूल्यहास पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 20% की दर से अधिक लगाई गई है।

5. सेवानिवृत्ति हितलाभ

- 5.1 सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी का नकदीकरण बीमांकिक मूल्यन आधार पर प्रदान किए जाते हैं। संस्था में आमेलित कार्मिकों के पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूँजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान लेखा में जमा किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों के लिए प्राप्त पेंशन अंशदान को भी पेंशन लेखा के प्रावधान में जमा किया जाता है। पेंशन, उपदान और छुट्टी के नकदीकरण के वास्तविक भुगतान को संबंधित प्रावधानों के लेखा में नामे डाला जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, जैसे- जमा लिंक बीमा, नई पेंशन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति पर मूल निवास स्थान को यात्रा का लेखाकरण प्रोद्भवन (वास्तविक भुगतान जमा वर्ष के अंत में बकाया बिल) आधार पर किया जाता है।

6. निवेश

- 6.1 दीर्घावधि निवेश उनकी लागत या अंकित मूल्य में से जो भी कम हो उस पर रखे जाते हैं। तथापि, तुलन पत्र की तिथि को उनके मूल्य में किसी स्थायी हास के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 6.2 अल्पावधि निवेश उनकी लागत या बाजार मूल्य (यदि उद्धृत किया गया है) में से जो भी कम हो उस पर रखे जाते हैं।

7. उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

- 7.1 पूँजीगत निधि— प्रारंभ से ही अर्थात् 1961 से सहायता अनुदान शिक्षा मंत्रालय से वर्षानुवर्ष आधार पर प्राप्त होते हैं जिसमें से राजस्व पूँजीगत प्रकार का खर्च किया जाता है। प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों को परिषद् की पूँजीगत निधि में जमा के द्वारा संस्थान की परिसंपत्तियों में डाला जाता है और संस्थागत व्यय के रूप में किए गए राजस्व व्यय को आय में विलय करके इसे आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, संस्था प्रत्येक शीर्ष उप-शीर्ष के अंतर्गत उपयोग किए गए सहायता अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करती है।
- 7.2 भविष्य निधि, नई पेंशन योजना में शेष को अग्रेनीत किया जाता है और इसे बैंक, निवेश तथा प्रोद्भुत ब्याज के शेष में परिसंपत्तियाँ शीर्ष में प्रस्तुत किया जाता है।

8. सरकारी अनुदान

- 8.1 सरकारी अनुदानों का लेखाकरण नकदीकरण आधार पर किया जाता है। तथापि जब वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने के लिए संस्वीकृति 31 मार्च से पूर्व प्राप्त होती है परंतु अनुदान की राशि वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होती है तो इस अनुदान का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है और इसके समान राशि को अनुदानकर्ता से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाता है।
- 8.2 पूँजीगत व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) के लिए उपयोग की गई मात्रा तक सरकारी अनुदानों को पूँजीगत निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- 8.3 राजस्व व्यय (प्रोद्भव आधार पर) को पूरा करने के लिए उपयोग की गई मात्रा तक के सरकारी अनुदानों को उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें वे नकदीकृत हुए।
- 8.4 अप्रयुक्त अनुदानों (ऐसे अनुदानों से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रेनीत किया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

9. उद्दिष्ट निधियों का निवेश और ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज रूपी आय

व्यय के लिए जिस मात्रा तक की तत्काल आवश्यकता नहीं है, ऐसी निधियों में से उपलब्ध धनराशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं बॉन्ड में निवेश किया जाता है या बैंकों में नियत अवधि के लिए जमा किया जाता है, शेष को बचत बैंक खाते में छोड़ा जाता है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत एवं देय ब्याज तथा ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं, को संबंधित निधियों में जोड़ा जाता है और इसे संस्थान की आय नहीं माना जाता।

10. प्रायोजित परियोजनाएँ

10.1 जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त धनराशियों को 'चालू देयताएँ और प्रावधान – चालू देयताएँ – अन्य देयताएँ – जारी प्रायोजित परियोजनाओं की प्राप्तियाँ' शीर्ष में जमा किया गया है। ऐसी परियोजनाओं में से जब कभी खर्च किया जाता है, अग्रिम भुगतान किए जाते हैं या आबंटित ऊपरी प्रभागों को संबंधित परियोजना खाते में नामे डाला जाए तो देयताएँ लेखा के नामे डाला जाता है।

10.2 संस्था स्वयं भी अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है जिनका लेखाकरण अकादमिक व्यय के रूप में किया जाता है।

11. माल मूल्यन

पुस्तकों, कागजों, ब्लॉकों और विज्ञान किटों के माल का मूल्यन लागत पर किया जाता है। पुस्तकों के मामले में मूल लागत, मुद्रित मूल्य पर औसत आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत निकाली जाती है।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत संस्थान की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। अतएव लेखा में आयकर के लिए, कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

13. व्यय

एनसीईआरटी प्रत्येक वर्ष 12 महीनों अर्थात् मार्च से फ़रवरी तक प्रदान वेतन भुगतान करने की परिपाटी का पालन करती है, इस वर्ष भी इसी परिपाटी का पालन किया गया है।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 24 — ट. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियाँ

आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- 1.1. पूर्व/वर्तमान कार्मिकों, किराएदारों और संविदाकारों द्वारा संस्था के विरुद्ध दायर 77 अदालती मामले तथा संविदाकारों के साथ माध्यस्थम् मामले 31.3.2023 को निर्णयों के लिए लंबित हैं। कार्मिकों द्वारा दायर मुकदमे स्थापना से संबंधित हैं अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान और सेवा-समाप्ति आदि, जिस में दावों की मात्रा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- 1.2. 31.03.2023 को संस्था की ओर से बैंक द्वारा स्थापित बकाया साख-पत्र-शून्या
- 1.3. 31.03.2023 को सेवा कर एवं जीएसटी विवादित मांग-शून्या

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पूँजीगत खाता पर निष्पादित किए जाने वाले और अग्रिमों के निवल के लिए प्रदान नहीं किए गए शेष संविदाओं का मूल्य 177.75 करोड़ रुपये है। इसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ 31.03.2023 को बकाया अंतःशेष राशि के रूप में अनुसूची 8 पर दिखाया गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

- 3.1 **मूर्त परिसंपत्तियाँ**— वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए परिवर्धनों के संबंध में पूँजीगत निधियों और राजस्व निधियों से सृजित स्थायी परिसंपत्तियों को पृथक रूप से दर्शाया गया है। उन परिवर्धनों पर मूल्यहास स्थायी परिसंपत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची 4) की उप-अनुसूची 4(क) तथा 4(ख) में स्पष्ट रूप से दिया गया है।
- 3.2 **अमूर्त परिसंपत्तियाँ**— लेखा के नये संरूप के परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण में पृथक रूप से दर्शाया जा रहा है। तदुसार सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण पूँजीगत निधि में दर्शाया गया है।
- 3.3 अनुसूची 4 में स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धनों में पूँजीगत और राजस्व मदों के अंतर्गत क्रमशः 21.55 करोड़ रुपये एवं 2.07 करोड़ रुपये की खरीद की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रायोजित परियोजनाओं और उपहार स्वरूप परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में किए गए परिवर्धनों का विवरण क्रमशः 2.00 करोड़ रुपये और 0.54 करोड़ रुपये है और तदुसार पूँजीगत निधि में जमा द्वारा समायोजित किए गए हैं।

4. मूल्यहास

- 4.1 लेखा नीति में परिवर्तन के अनुपालन में दिनांक 01.04.2014 से परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की दरें संशोधित निर्धारित दरों के अनुसार लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखा नीति के संबंध में मूल्यहास प्रत्यक्ष कटौती प्रणाली पर प्रभारित किया गया है। तथापि, चूँकि परिसंपत्तियों की मूल लागत उपलब्ध नहीं है, अतः परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य पर मूल्यहास लगाया गया है। पूर्णतया बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य के 1 रुपये के साथ में दर्शाया जाना पूर्ण विवरण के अभाव में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।
- 4.2 उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनकी मूल्यहास की दरें निर्धारित नहीं हैं, उन में उसी प्रकार की परिसंपत्तियों की दरें लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 तक अवशिष्ट मूल्य 1 रुपये पर अर्जित की गई खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तिया के विवरण की अभाव में लेखा में प्रकटीकरण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

5. नए संरूप के अनुसार लेखा का संकलन

- 5.1 लेखा का संकलन प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा परिषद् के संबंधित एककों से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी के आधार पर किया गया है।
- 5.2 इसके अतिरिक्त, चूंकि इस संरूप को शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रारूपित किया गया है, संस्था का प्रमुख ध्येय गुणकारी शिक्षा प्रदान करना है जिसके लिए देश में विद्यालय स्तर की शिक्षा तक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण/विकास/कार्यक्रम/संगोष्ठियाँ/सम्मेलनों के आयोजन और पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण के विकास पर पर्याप्त राशि खर्च की गई है। तदनुसार जहाँ कहीं भी निर्धारित लेखा फॉर्मेट से लेखा प्रस्तुति में कोई विचलन है, उसका समुचित प्रकटीकरण किया गया है।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ

31 मार्च, 2023 तक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति हितलाभ (उपदान, पेंशन और छुट्टी के नकदीकरण) के लिए 1648.99 करोड़ रुपये की देय का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर लिया गया। तथापि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशन' के चालू वर्ष के भुगतान को आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची 15क के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. विदेशी मुद्रा में व्यय

वर्ष के दौरान निम्नानुसार शीर्षों में किए गए व्यय का विवरण है—

क) यात्रा	₹ शून्य
ख) रसायन आदि के आयात हेतु विदेशी ड्राफ्ट	₹ शून्य
ग) अन्य	₹ शून्य

8. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और जमा

प्रबंधन के विचार में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों और जमा की सामान्य प्रक्रिया में नकदीकरण पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई समग्र धनराशि के बराबर होना चाहिए।

बैंकों में बचत बैंक खातों और मियादी जमा खातों में शेष का विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची 7 के संलग्नक में दर्शाया गया है।

9. भविष्य निधि और नई पेंशन योजना

चूंकि भविष्य निधि लेखा और राष्ट्रीय पेंशन योजना लेखा संस्थान की निधि का भाग नहीं है, ये इन निधियों के सदस्यों के स्वामित्व में हैं न कि संस्था के पास हैं, इसलिए उन्हें अलग से दर्शाया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए भविष्य निधि लेखा और राष्ट्रीय पेंशन योजना लेखा का प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा (प्रोद्भवन आधार पर) और तुलन पत्र को संस्था के लेखा के साथ संलग्न किया गया है।

10. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिमों की स्थिति

10.1 1 अप्रैल, 2022 को के.लो.नि.वि. को कुल अग्रिम 175.98 करोड़ रुपये में से पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 15.99 करोड़ रुपये का परिसंपत्तियों के अर्जन द्वारा किया गया है। राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 35.20 करोड़ रुपये के अग्रिम राशि का भी वर्ष 2022-23 दौरान भूमि एवं भवन के मरम्मत एवं रखरखाव के लिए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करते हुए निपटान कर दिया गया है।

10.2 वर्ष के दौरान के.लो.नि.वि./ई.डी.सी.आई.एल./एम.पी.यू.वी.एल. को भुगतान किए गए अग्रिमों की स्थिति अन्य बातों के साथ-साथ अर्जित की गई परिसंपत्तियों का विवरण और पूंजीगत एवं राजस्व शीर्ष के अंतर्गत किए गए राजस्व व्यय के हुए निम्नवत प्रस्तुत किया गया है—

10.2.1 राजस्व शीर्ष

राशि ₹ में

राजस्व शीर्ष : सी.पी.डब्ल्यू.डी. अग्रिम	राजस्व शीर्ष (भूमि एवं भवन)	राजस्व शीर्ष (ई. एवं एफ.)	कुल
आदि शेष (क)	93,06,05,818/-	22,50,000/-	93,28,55,818/-
जमा— 2022-23 के दौरान दिए गए अग्रिम(ख)	26,67,80,478/-	-	26,67,80,478/-
घटा— 2022-23 में अधिग्रहीत/समायोजित (ग)	35,07,23,943/-	12,50,000/-	35,19,73,943/-
अंतःशेष (क+ख-ग)	84,66,62,353/-	10,00,000/-	84,76,62,353/-

10.2.2 पूँजीगत शीर्ष

राशि ₹ में

पूँजीगत शीर्ष : सी.पी.डब्ल्यू.डी. अग्रिम	राजस्व शीर्ष (भूमि एवं भवन)	राजस्व शीर्ष (ई. एवं एफ.)	कुल
आदि शेष (क)	82,53,90,689/-	15,39,057/-	82,69,29,746/-
जमा— 2022-23 के दौरान दिए गए अग्रिम(ख)	26,28,20,572/-	-	26,28,20,572/-
घटा— 2022-23 में अधिग्रहीत/समायोजित(ग)	15,99,16,850/-	-	15,99,16,850/-
अंतःशेष (क+ख-ग)	92,82,94,411/-	15,39,057/-	92,98,33,468/-

11. आय एवं व्यय लेखा (अनुसूची 13) में दिखाई गई पुस्तकों/सी.डी. और पत्रिकाओं की बिक्री से आय का विवरण निम्नानुसार है—

राशि ₹ में

विवरण		राशि
	समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 2022-23 में दर्शाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से आय	3,17,88,61,040.18
जमा	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को की गई उधार बिक्री	13,76,825.00
घटा	गत वित्तीय वर्षों के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से उधार बिक्री के लिए प्राप्त भुगतान/पुस्तकें वापिस	21,15,183.00
जमा	चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपूर्ति की गई पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिसके लिए गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम	23,31,65,152.36

घटा	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम प्राप्त किया गया, परंतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की जा सकी	18,43,83,254.36
जमा	ग्राहकों को बिक्री पर छूट	89,47,35,905.52
	समेकित आय एवं व्यय लेखा 2022-23 में दर्शाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से आय	4,12,16,40,485.70

12. मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान की शीर्ष-वार स्थिति, इसमें किया गया व्यय और 31.03.2023 को अव्ययित शेष की स्थिति निम्नवत है—

(आंकड़े लाखों में)

शीर्ष	01.04.2022 को आदिशेष	प्राप्त अनुदान 2022-23	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	वापसी	31.03.2023 को अव्ययित शेष
वेतन	1,558.77	14,702.88	16,261.65	13,698.54	524.16	2,038.95
राजस्व (सामान्य)	907.37	21,400.00	22,307.37	22,003.98	-	303.39
पूँजीगत	-	3,575.58	3,575.58	3,575.58	-	-
एन.ई.आर.	9.38	151.15	160.53	151.16	9.38	-
कुल	2,475.52	39,829.61	42,305.13	39,429.26	533.54	2,342.34

टिप्पणियाँ—

1. शेष राशि 23,42,33,847/- रुपये में से 9,96,43,236/- रुपये की राशि 01/04/2023 को देय मार्च 2023 महीने के वेतन के भुगतान के लिए टीएसए से एनसीईआरटी के वाणिज्यिक खाते में स्थानांतरित की गई और शेष 13,45,90,611/- रुपये शिक्षा मंत्रालय को वापस कर दिए गए।
 2. एन.ई.आर. मद के तहत उपयोग की गई 1500/- रुपये की अतिरिक्त राशि परिषद् की आंतरिक प्राप्तियों से पूरी की गई थी।
 3. वेतन के तहत अतिरिक्त खर्च का 30% वित्तीय प्रभाव अर्थात् 12,11,67,564/- रुपये एनसीईआरटी द्वारा वहन किया जाता है और इसलिए, इसका हिसाब लगाया गया है अर्थात्, वेतन पर कुल व्यय (1,49,10,21,528/- रुपये घटाकर 12,11,67,564/- रुपये) तथा शुद्ध व्यय 136,98,53,964/- रुपये वेतन के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस राशि को अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्ति अशोध्य अनुदान) शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 10 में भी दर्शाया गया है।
13. विद्यार्थियों/स्कूल से अग्रिम राशि के रूप में 48,92,732/- रुपये की बकाया राशि, जो 07 वर्षों से अधिक समय से अज्ञात और अस्वामिक थी, उसे विविध आय मानकर बढ़े खाते में डाल दिया गया है। यह राजस्व में वृद्धि और समान राशि के लिए वर्तमान देयता में कमी का प्रभाव है।
14. वैज्ञानिक किटों की बिक्री से आय
- वर्ष 2021-22 तक यह प्राचीन पद्धति रही है कि विज्ञान किटों की आपूर्ति के लिए वसूली गई सकल राशि (मूल राशि, मूल राशि पर जीएसटी और मूल राशि पर 5% लाइसेंस शुल्क सहित) को वर्तमान देयता (अग्रिम में प्राप्त राशि) के रूप में माना गया था और इन किटों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान ऐसे अग्रिमों से समायोजित किया गया था और निवल राशि को तुलन पत्र में वर्तमान देयता के रूप में दिखाया गया था। चूंकि अग्रिम का संग्रह किटों की आपूर्ति के विरुद्ध है, जिस पर जीएसटी लागू है, इसे माल

- की बिक्री के रूप में माना गया है और उचित राजस्व को 'विज्ञान किटों की बिक्री' के शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है। लाइसेंस शुल्क में जीएसटी शामिल है और इसलिए इस राशि में शामिल जीएसटी घटक के समायोजन के बाद इसे दिखाया गया है।
- चूंकि आपूर्तिकर्ताओं को विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं से विज्ञान किटों की ऐसी आपूर्ति के लिए प्राप्त राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाता है, ऐसी किटों में कोई मूल्यवृद्धि शामिल नहीं होती है और रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा केवल लाइसेंस शुल्क शुल्क आर्जित किया जाता है। इसलिए, इन किटों की खरीद की मूल राशि हमेशा उसके लिए दर्ज की गई बिक्री के बराबर होगी। इन किटों की आपूर्ति के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि को "शैक्षणिक व्यय" के अंतर्गत व्यय के रूप में दिखाया गया है।
15. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विविध लेनदारों का 19.40 लाख रुपये का नामे शेष शामिल है। विविध लेनदारों का नामे शेष पिछले वर्षों के खर्चों को दर्शाता है। इसका निपटान चालू वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्व अवधि व्यय में किया जाता है।
 16. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, वैधानिक देयताओं में पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 109.85 लाख रुपये का नामे शेष शामिल है। इसे अब एस.ए.आर. में दी गई सलाह के अनुसार क्र.स.3 पर "ऋण, अग्रिम और जमा" (अनुसूची-08) शीर्षक के तहत दिखाया गया है।
 17. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, स्थायी परिसंपत्तियों में एनसीईआरटी का एक एकक क्षेत्रीय उत्पादन और वितरण केन्द्र (आरपीडीसी), बेंगलुरु के स्वामित्व वाली भूमि और भवन की लागत शामिल नहीं है। एस.ए.आर. में दी गई सलाह के अनुसार भूमि को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर मैसूर शाखा के लेखा में लिया गया है तथा भवन को वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा मूल्यन के रूप में 3,27,67,028/- रुपये का परिवर्धन मैसूर लेखा में भी लिया गया है और इतनी ही राशि को पूँजीगत निधि के साथ समायोजित किया जाता है।
 18. आरआईई-भुवनेश्वर ने नया बालिका छात्रावास और ओपन ऑडिटोरियम से संबंधित दो कार्यों के लिए 31 मार्च 2023 तक 8.46 करोड़ रुपये का खर्च किया। यह पूँजीगत व्यय एस.ए.आर. में दी गई सलाह के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूँजीगत कार्य प्रगति के तहत दिखाया गया है।
 19. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, आरआईई-भोपाल में विज्ञापन के संबंध में डीएवीपी के पास 11.42 लाख रुपये जमा करना शामिल है। चालू वर्ष 2022-23 के दौरान 11,23,128/- रुपये की राशि पूर्व अवधि के व्ययों में नामे की गई है क्योंकि यह व्यय पिछले वर्षों के दौरान किया गया था और इसका समायोजन चालू वर्ष के दौरान किया गया है।
 20. जैसा कि एस.ए.आर. में उल्लिखित है, प्रायोजित परियोजना में नामे शेष राशि 63.47 लाख रुपये (2015-16 से संबंधित) को "प्रायोजित परियोजना और छात्रवृत्ति में शेष" के तहत उसी शीर्षक के अन्तर्गत जमा शेष के साथ समायोजित किया गया है।
 21. जैसा कि एस.ए.आर. में सलाह दी गई है, वर्ष 2004-05 से बकाया 36.60 लाख रुपये के विविध देयताओं के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है।
 22. पंजाब वित्तीय निगम (पी.एफ.सी.) के बांड में 01 दिसम्बर 2016 को परिपक्व हुआ निवेश वसूली योग्य है और मूलधन और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए पी.एफ.सी. को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। 01 दिसम्बर 2016 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए 121.71 लाख रुपये (31-03-2022 तक प्रोद्भूत ब्याज 107 लाख रुपये सहित) का ब्याज देय है और इसे विधिवत आय के रूप में मान्यता दी गई है। हाँलाकि, "संदिग्ध ऋण" के तहत 94,37,457 रुपये की (31 मार्च 2023 कुल प्रोद्भूत ब्याज 1,21,70,643 रुपये था जिसमें से 22 जून 2023 को प्राप्त ब्याज को 27,33,186 रुपये से घटाया गया था) राशि का प्रावधान किया गया है। 94,37,457 रुपये की राशि विवाद में है।
 23. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, मौजूदा देयताओं और प्रावधान में अप्रैल 2022 में भुगतान किए गए 11.91 करोड़ रुपये में से मार्च 2022 के लिए कर्मचारियों के वेतन की देयता शामिल नहीं थी। इसका समायोजन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समान राशि को पूर्व अवधि के वेतन व्यय से नामे करते हुए और वेतन व्यय में जमा करते हुए किया जाता है।

24. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सी.आई.ई.टी. डिवीजन द्वारा 7.40 लाख रुपये की शुद्ध राशि के साथ निपटान की गई परिसंपत्तियों को स्थायी परिसंपत्तियों से नहीं काटा गया था। इसका निरूपण चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थायी परिसंपत्तियों से समायोजित करते हुए किया जाता है, जिसका प्रभाव विविध प्राप्तियों और पूर्व अवधि व्यय (परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि) में होता है।
25. 2.66 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्राप्य दावा एनसीईआरटी आशुलिपिक कल्याण संगठन और एनसीईआरटी अनुसचिवीय कर्मचारी संघ द्वारा दायर एक मामले के संबंध में न्यायालय के निर्देश पर एसबीआई में जमा की गई राशि को दर्शाता है। बाद में न्यायालय के निर्देश पर यह राशि लाभार्थियों को वितरित की गई। एनसीईआरटी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में आशुलिपिक कल्याण संगठन और एनसीईआरटी अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा सीएस (05) संख्या 2328/2012 दायर किया गया है। चालू वर्ष के दौरान, 2.66 करोड़ रुपये की प्राप्य दावा राशि में से 31,81,131/- रुपये की राशि को बयाना राशि/प्रतिभूति राशि में समायोजित किया गया है और आयकर(टीडीएस) और शेष 2.34 करोड़ रुपये की राशि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत किया गया है।
26. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, एनसीईआरटी के पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग ने पत्रिकाओं की खरीद के लिए 69.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, जिसके लिए 1.71 लाख रुपये की पत्रिकाएँ प्राप्त हुईं और 31 मार्च 2022 तक 68.14 लाख रुपये की पत्रिकाएँ प्राप्त होनी बाकी थीं। हाँलाकि, एनसीईआरटी ने 69.85 लाख रुपये की पूर्ण राशि का पूँजीकरण किया। इसके लिए समायोजन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत पारित किया गया है।
27. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, “संविदागत कर्मचारियों के वेतन/आउटसोर्सिंग” के लिए 8.45 करोड़ रुपये की राशि को “वेतन और मजदूरी” में शामिल किया गया है, जो पिछले वर्ष 2021-22 में स्थापना व्यय (अनुसूची-15) के मद में 154.87 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ‘संविदागत’ कर्मचारी वेतन/आउटसोर्सिंग को एस.ए.आर. में सलाह के अनुसार प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-17) के तहत दिखाया गया है।
28. पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान, “अन्य देयताएँ/बकाया व्यय” के शीर्षके अंतर्गत “अन्य शुल्क” के उप-शीर्षके अंतर्गत 2,77,24,877/- रुपये का भुगतान किया गया था, हाँलाकि 01/04/2021 तक कोई राशि बकाया नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य शुल्कों में नामे शेष हो गया। चालू वर्ष में “पूर्व अवधि व्यय” के लिए 2,77,24,877/- रुपये को नामे करते हुए और अन्य व्ययों को उसी लेखा शीर्षके तहत जमा करके आवश्यक सुधार किया गया है।
29. एनसीईआरटी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अपने कर्मचारियों (एनपीएस अभिदाताओं सहित) के उपदान के लिए 73,74,50,350/- रुपये का प्रावधान किया है।

डि. ह./-
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./-
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

**** (प्रस्तुत रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी रूपांतरण ही मान्य होगा) ****

ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लेखा पर 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), नई दिल्ली की 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को वर्ष 2027-28 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में परिषद् के 12 एककों का लेखा शामिल है। इनमें से तीन एककों के लेखा की लेखा परीक्षा की गई थी तथा रिपोर्ट में टिप्पणियों पर विचार किया गया। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी परिषद् के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखा रीतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानकों आदि से अनुरूपता के संबंध में लेखा विधियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) का अनुपालन और कौशल-सह-निष्पादन पहलुओं आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर यदि कोई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हो तो वे निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा पृथक रूप से प्रतिवेदित किए गए हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन में यथोचित रूप से सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा के अंतर्गत परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में धनराशियों एवं प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्यों की जाँच शामिल है। प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी इस लेखापरीक्षा में शामिल है। हमें विश्वास है कि यह लेखापरीक्षा, हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि —
 - (i) हमने रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी के अधीन सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी।
 - (ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थूल रूप से विनिर्धारित प्रपत्र में बनाए गए हैं।
 - (iii) हमारी राय में रिपोर्ट की टिप्पणी के अधीन इन बहियों की जांच करने पर यह प्रतीत होता है कि परिषद् द्वारा लेखा बही एवं अन्य संगत अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया गया है।
 - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि —

अ. सामान्य

अ.1 लेखा का समेकन

एनसीईआरटी के सभी संघटक एकक प्रत्येक माह प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार करते हैं और एनसीईआरटी मुख्यालय को समेकन के लिए भेजते हैं। सभी एककों से प्राप्त प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के आधार पर, एनसीईआरटी मुख्यालय में वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में सभी संघटक एककों को

लेखा का पूर्ण सेट अर्थात् प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलन पत्र तैयार करना चाहिए जिससे एनसीईआरटी के लेखा की बेहतर रिपोर्ट के लिए एनसीईआरटी मुख्यालय में समेकित लेखा तैयार किया जा सके। इस पर 2014-15 से बारंबार ध्यान दिलाया जा रहा है परंतु एनसीईआरटी द्वारा अगले वर्ष अनुपालन कर दिया जाएगा, इस आश्वासन के सिवाय कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।

ब. सहायता अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीईआरटी को 399.83 करोड़ रुपये (पूँजीगत: 36.27 करोड़ रुपये और राजस्व: 363.56 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें से 118.13 करोड़ रुपये (पूँजीगत: 18.52 करोड़ रुपये और राजस्व: 99.61 करोड़ रुपये) की अनुदान राशि मार्च, 2023 में प्राप्त हुई थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को इसका आदि शेष 24.76 करोड़ रुपये (पूँजीगत: शून्य और राजस्व: 24.76 करोड़ रुपये) की आंतरिक प्राप्ति थी। इसने 424.59 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से 394.30 करोड़ रुपये (पूँजीगत: 35.76 करोड़ रुपये और राजस्व: 358.54 करोड़ रुपये) का उपयोग किया। एनसीईआरटी ने 31.03.2023 को 5.33 करोड़ रुपये वापसी और 1.54 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण कर दिया और 31 मार्च 2023 तक 23.42 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।

इसको वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से प्रायोजित/विशिष्ट परियोजनाओं हेतु 316.86 करोड़ रुपये (309.82 करोड़ + 7.04 करोड़ टीडीएस रिफंड) का अनुदान भी प्राप्त हुआ और इन परियोजनाओं में इसका 10.41 करोड़ रुपये का आदि शेष था। कुल 327.27 करोड़ रुपये के अनुदान में से, परिषद् ने इन परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान 320.25 करोड़ रुपये का व्यय किया जिससे 31 मार्च 2023 को 7.02 करोड़ रुपये शेष बचा।

स. प्रबंधन-पत्र

- अ) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें सुधारक/उपचारी कार्रवाई के लिए एक पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा निदेशक, एनसीईआरटी के संज्ञान में लाया गया है।
- ब) पिछले अनुच्छेदों में की गई अपनी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- स) हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ तथा इसमें उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट सत्य और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करती है।
- क) जहाँ तक इसका तुलन पत्र से संबंध है, यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली की 31 मार्च, 2023 की कार्य स्थिति को दर्शाता है; और
- ख) जहाँ तक इसका आय एवं व्यय लेखा से संबंध है यह उपर्युक्त तारीख पर वर्ष के अंत में अधिशेष को दर्शाता है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(केंद्रीय व्यय)

स्थान – नई दिल्ली

दिनांक – 21.11.2023

ड. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

एनसीईआरटी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है। तथापि एनसीईआरटी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नानुसार सुदृढ़ करने की आवश्यकता है—

- वर्ष 2022-23 के दौरान सभी 12 एककों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना की गई थी, परंतु 2022-23 के दौरान किसी भी एकक की लेखापरीक्षा नहीं की गई।
- एनसीईआरटी मुख्यालय की लेखापरीक्षा आज तक संचालित नहीं की गई है।
- आपत्तियों के निपटान हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई चूंकि 31.03.2023 को 486 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बाकी थे।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता

एनसीईआरटी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है क्योंकि—

- व्यय नियंत्रण रजिस्टर और अनुबंधों के रजिस्टर का रख-रखाव न करना।
- कुछ परियोजनाएँ पिछले तीन वर्षों से गतिविधिहीन हैं।
- प्रकाशन प्रभाग के खाता संख्या 10137881342 और एनसीईआरटी मुख्यालय खाता संख्या 10137881331 के बैंक समाधान विवरण में भारी मात्रा में असमाधानित राशि है।
- अचल संपत्तियों और माल-सूची का नियमित भौतिक सत्यापन न करना।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- एनसीईआरटी (मुख्यालय) की भूमि एवं भवन का प्रत्यक्ष सत्यापन मार्च 2022 तक किया जा चुका है।
- एनसीईआरटी (मुख्यालय) की अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2016-17 तक किया जा चुका है।
- एनसीईआरटी (मुख्यालय) के पुस्तकालय का प्रत्यक्ष सत्यापन मार्च 2022 तक किया गया है और 178 पुस्तकों के गुम होने की सूचना है।
- एनसीईआरटी की शेष 12 इकाइयों के प्रत्यक्ष सत्यापन के संबंध में सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- एनसीईआरटी (मुख्यालय) की स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों का प्रत्यक्ष सत्यापन अगस्त 2021-22 तक किया गया था।
- पुस्तकालय पुस्तकों के एनसीईआरटी (प्रकाशन) का प्रत्यक्ष सत्यापन सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया था।

5. सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता

दिनांक 31.03.2023 को वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

UN322